



सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2025 - 26



भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग



वार्षिक रिपोर्ट

2025-26

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

विषय-सूची

क्रं.स.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	परिचय	3
2	रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग का एक संक्षिप्त विवरण	4
3	पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)	6
4	पेट्रोरसायन की नई योजना और संवर्धनात्मक गतिविधि तथा प्रमुख कार्यक्रम	9
5	अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं संधियाँ	12
6	भोपाल गैस रिसाव आपदा	16
7	रसायन एवं पेट्रोरसायन उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार एवं व्यापार आसूचना	18
8	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	19
9	स्वायत्त संस्थाएँ	26
10	सामान्य प्रशासन	37
अनुलग्नक		
I	प्रमुख रसायनों की उत्पाद-वार स्थापित क्षमता और उत्पादन	43
II	प्रमुख पेट्रोरसायनों की उत्पाद-वार स्थापित क्षमता और उत्पादन	47
III	स्वीकृत प्लास्टिक पार्कों का वित्तीय विवरण	51
IV	उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) का विवरण	52
V	गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) का विवरण	53
VI	योजना-वार परिव्यय/खर्च	67
VII	वित्त वर्ष 2024-25 में व्यय और वित्त वर्ष 2025-26 में व्यय	68
VIII	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग का संगठनात्मक चार्ट	69

अध्याय-1

परिचय

- 1.1** रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) का उद्देश्य है:
- i. देश में रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्रों की वृद्धि और इनका विकास करने के लिए नीति और कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें लागू करना; और
 - ii. उद्योग के उपर्युक्त क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भावना को बढ़ावा देना।
- 1.2** विभाग को निम्नलिखित व्यापक विषयों से निपटने का अधिकार प्राप्त है:
- i. कीटनाशक (कीटनाशक अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के प्रशासन को छोड़कर);
 - ii. डाई-सामग्री और डाई इंटरमीडिएट;
 - iii. वे सभी आर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रसायन, जो विशेष रूप से किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को आवंटित नहीं किए गए हैं;
 - iv. विभाग द्वारा डील किए जा रहे सभी उद्योगों की योजना बनाना, विकास करना, नियंत्रण करना और उन्हें सहायता प्रदान करना;
 - v. भोपाल गैस रिसाव आपदा – इससे संबंधित विशेष कानून;
 - vi. पेट्रोरसायन;
 - vii. गैर-सेलुलोजिक सिंथेटिक फाइबर (नायलॉन पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आदि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग;
 - viii. सिंथेटिक रबर; और
 - ix. प्लास्टिक के फ़ैब्रिकेशन सहित प्लास्टिक और मोल्डेड वस्तुओं का निर्माण।
- 1.3** विभाग के पांच प्रमुख प्रभाग हैं – रसायन, पेट्रोरसायन, प्रशासन, सांख्यिकी एवं मॉनीटरिंग और आर्थिक प्रभाग। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तीनों विभागों का एक ही एकीकृत वित्त प्रभाग है।
- 1.4** रसायन क्षेत्र में तीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू), नामतः हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल), हिल (इंडिया) लिमिटेड तथा एचओसीएल की सहायक कंपनी हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल) (टिप्पणी: एचएफएल वर्तमान में प्रचालन में नहीं है।) हैं। इस विभाग के अधीन केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) और कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) दो स्वायत्त संस्थान हैं।
- 1.5** श्री जगत प्रकाश नड्डा रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। श्रीमती अनुप्रिया पटेल रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हैं और श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग की सचिव हैं।

अध्याय-2

रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग का एक संक्षिप्त विवरण

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग का विजन

2.1 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, विभाग देश में रसायनों और पेट्रोरसायनों के उत्पादन को बढ़ाने और आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। इसमें देश में रसायनों और पेट्रोरसायनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने, नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने, संधारणीय प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करने, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाने और इस क्षेत्र में सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाना शामिल है।

रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग

- 2.2 रसायन उद्योग खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें मूल रसायन और उनके उत्पाद, पेट्रोरसायन, उर्वरक, पेंट, वार्निश, गैस, साबुन, परफ्यूम और प्रसाधन सामग्री तथा फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। रसायन उद्योग में बहुत विविधता है और इसमें अस्सी हज़ार से ज़्यादा वाणिज्यिक उत्पाद शामिल हैं। पेट्रोरसायन, जिसमें प्लास्टिक और कई अन्य रसायन शामिल हैं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से प्राप्त डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन होते हैं। पेट्रोरसायन श्रृंखला में मूल्य वर्धन अपार संभावनाएँ प्रदान करता है और कपड़ा और परिधान, कृषि, ऑटोमोबाइल और अन्य उभरते क्षेत्रों सहित बड़ी संख्या में उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। यह उद्योग देश के औद्योगिक और कृषि विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
- 2.3 यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय रसायन उद्योग ने वर्ष 2000 से अब तक कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 3.0% का योगदान दिया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक इस क्षेत्र में कुल एफडीआई 92,754 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक यह आंकड़ा 48,741 करोड़ रुपये था। यह उल्लेखनीय है कि भारत के रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6,985 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8,942 करोड़ रुपये हो गया है। पूर्व वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 28.02% की वृद्धि दर्शाता है।
- 2.4 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में रसायन क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का हिस्सा वर्तमान कीमतों पर लगभग 8.1% और राष्ट्रीय जीवीए का 1.2% है। पिछले पांच वर्षों में वर्तमान कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित में औसतन 4.4% की सीएजीआर से वृद्धि हुई है।
- 2.5 वर्ष 2023-24 में उत्पादन मूल्य के हिसाब से भारतीय रसायन उद्योग का आकार वर्तमान कीमतों पर 15,14,351 करोड़ रुपये था। पिछले पांच वर्षों में रसायन और रासायनिक उत्पादों के उत्पादन में वर्तमान कीमतों पर 11.6% की सीएजीआर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से वृद्धि हुई है।
- 2.6 प्रमुख रसायनों और पेट्रोरसायनों का उत्पादन वर्ष 2024-25 में 58,617 हजार मीट्रिक टन रहा, जबकि 2015-16 में यह 45,638 हजार मीट्रिक टन था। वर्ष 2025-26 (अप्रैल-सितंबर 2025) में कुल प्रमुख रसायनों और

पेट्रोरसायनों का उत्पादन 27,322 हजार मीट्रिक टन रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन (1679 हजार मीट्रिक टन) से कम है। वर्ष 2020–21 से 2024–25 के दौरान चयनित प्रमुख रसायनों और पेट्रोरसायनों के उत्पादन का विवरण **अनुलग्नक-I और II** में दिया गया है।

- 2.7** क्षार रसायनों का हिस्सा सबसे अधिक है, जो कुल रसायन उत्पादन का 71.1% है। आर्गेनिक रसायनों का हिस्सा 15.7% है, जबकि इनऑर्गेनिक रसायनों का योगदान 8.6% है। कीटनाशकों का हिस्सा 2.1% है, और डाई एवं पिगमेंट का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रमुख रासायनिक समूहों के उत्पादन का 2.7% है। पेट्रोरसायन में, पॉलिमर और ओलेफिन का हिस्सा सबसे अधिक है, जो कुल उत्पादन का क्रमशः 29.9% और 29.8% है। फाइबर इंटरमीडिएट का योगदान 12.2%, सिंथेटिक धागे का 9.3%, सुगंधित पदार्थों का 6.0% और अन्य पेट्रो-आधारित रसायनों का 5.8% है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रमुख पेट्रोरसायन समूह के कुल उत्पादन में परफॉर्मिस प्लास्टिक का हिस्सा 4.3% है, जबकि सिंथेटिक डिटर्जेंट इंटरमीडिएट और सिंथेटिक रबर का हिस्सा क्रमशः 1.8% और 0.9% है।
- 2.8** वर्ष 2024–25 में चयनित रसायन एवं पेट्रोरसायन उत्पादों की स्थापित क्षमता 69,942 (हजार मीट्रिक टन) थी। राजकोषीय वर्ष 2024–25 में प्रमुख बुनियादी रसायनों और प्रमुख बुनियादी पेट्रोरसायनों की स्थापित क्षमता उपयोग दर क्रमशः 79.2% और 85.4% रही। इसी अवधि के लिए समग्र क्षमता उपयोग दर 83.8% रही। वर्ष 2023–24 के दौरान इस क्षेत्र में 11.41 लाख व्यक्ति कार्यरत थे, जो मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों के संगठित क्षेत्र में 7.8% की वृद्धि दर दर्शाता है।

टिप्पणी:

1. स्थापित क्षमता और उत्पादन से संबंधित संपूर्ण डेटा चुनिंदा 245 मध्यम और बड़े उद्योगों/इकाइयों से लिया गया है और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा एकत्र किया जा रहा है।
2. कुल मूल रसायन और पेट्रोरसायन उत्पादन को केवल बड़े और मध्यम पैमाने की इकाइयों के तहत रसायनों के विनिर्माताओं से प्राप्त मासिक उत्पादन रिटर्न के आधार पर एकत्रित किया जाता है। प्रमुख रसायनों और प्रमुख पेट्रोरसायनों के लिए स्थापित क्षमता और उत्पादन का उत्पाद-वार और समूह-वार विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I और II** में दिया गया है।
3. जीवीए, उत्पादन और रोजगार से संबंधित सूचना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से ली गई है।
4. एफडीआई से संबंधित सूचना डीपीआईआईटी से ली गई है।

अध्याय-3

पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)

पृष्ठभूमि

- 3.1 पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) की अवधारणा का उद्देश्य पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर एकीकृत और पर्यावरण अनुकूल तरीके से बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2007 में पीसीपीआईआर नीति तैयार की। पीसीपीआईआर की परिकल्पना साझा अवसंरचना और सहायक सेवाओं के उपयोग के माध्यम से सह-साइटिंग, नेटवर्किंग और अधिक दक्षता के लाभों को प्राप्त करने के लिए की गई थी।
- 3.2 प्रत्येक पीसीपीआईआर एक विशेष रूप से चिन्हित निवेश क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 250 वर्ग किलोमीटर है (जिसमें से लगभग 40% क्षेत्र प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए निर्धारित है)। संबंधित राज्य सरकार के लिए पीसीपीआईआर से युक्त संपूर्ण क्षेत्र का अधिग्रहण करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उन्हें संबंधित क्षेत्र नियोजन और ज़ोनिंग कानून के तहत इस क्षेत्र को अधिसूचित करना होगा। एक पीसीपीआईआर, उत्पादन परियोजनाओं, सार्वजनिक उपयोगिताओं, लॉजिस्टिक, पर्यावरण संरक्षण सुविधाओं, आवासीय क्षेत्रों और प्रशासनिक सेवाओं का एक संयोजन होता है।
- 3.3 एक बार प्रस्ताव अनुमोदित हो जाने पर, संबंधित राज्य सरकार या उसकी एजेंसी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा अनुमोदित संदर्भ शर्तों के आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करती है। पर्यावरण क्लेरेंस (ईसी) एमओईएफ एंड सीसी की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद दी जाती है।
- 3.4 पीसीपीआईआर की स्थापना में संबंधित राज्य सरकार मुख्य भूमिका निभाती है। लिकेज के समन्वय के लिए एक नोडल विभाग या एजेंसी अधिसूचित की जाती है। संबंधित कानून के तहत प्रत्येक पीसीपीआईआर के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एक प्रबंधन निकाय पीसीपीआईआर के विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। पीसीपीआईआर की आंतरिक अवसंरचना के प्रबंधन के लिए एक डेवलपर या सह-डेवलपर्स के समूह का चयन पारदर्शी तंत्र के माध्यम से किया जाता है।
- 3.5 पीसीपीआईआर की संकल्पना व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धी वातावरण मुहैया कराने हेतु सड़क, रेल नेटवर्क, पोर्ट, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, सीवेज डिस्पोजल संयंत्र, जल आपूर्ति, स्टीम जनरेशन यूनिट इत्यादि जैसी सामान्य अवसंरचना, बेसिक यूटिलिटीज और सहायता सेवाओं के रूप में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में की गई है।

कार्यान्वयनाधीन पीसीपीआईआर:

इस नीति के अंतर्गत, वर्तमान में निम्नलिखित 3 पीसीपीआईआर कार्यशील हैं:

- **गुजरात**— भरुच जिले के दाहेज में
- **आंध्र प्रदेश** — यह पीसीपीआईआर क्षेत्र विशाखापट्टनम से काकीनाडा और पूर्वी गोदावरी जिलों तक फैला हुआ है।
- **ओडिशा** — केंद्रपाड़ा के पारादीप और जगतसिंहपुर जिले में

इन तीन पीसीपीआईआर की तुलनात्मक स्थिति:

स्थान/क्षेत्र	दाहेज, भरुच, गुजरात	विशाखापट्टनम – काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	पारादीप, ओडिशा	कुल
अनुमोदन की तारीख	फरवरी 2009	फरवरी 2009	दिसंबर, 2010	-
कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	453.00	640.00	284.15	1377.15
प्रोसेसिंग (वर्ग किमी)	230.00	270.00	123.00	623.00
किया गया निवेश (करोड़ रुपये में)	1,28,509	68,148	1,43,881	3,40,538
सृजित रोजगार (संख्या)	2,45,140	86,123	40,000	3,71,263
रासायनिक इकाइयों की संख्या	2079	154	13	2246

3.6 गुजरात पीसीपीआईआर

- गुजरात पीसीपीआईआर का कार्यान्वयन भरुच जिले के दाहेज में 453 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में किया जा रहा है। पीसीपीआईआर को गुजरात विशेष निवेश क्षेत्र (जीएसआईआर) अधिनियम, 2009 के तहत अधिसूचित किया गया है। यह दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के पूर्व में और पश्चिमी तटरेखा के पास रणनीतिक रूप से स्थित है। मौजूदा एस्टेट में, 11,158 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए और 656 हेक्टेयर भूमि आवास/वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए निर्धारित है।
- एंकर टेनेंट अर्थात मैसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशनल्स लिमिटेड (ओपीएएल) ने दाहेज एसईजेड में एक डुअल फीड क्रैकर कॉम्प्लेक्स स्थापित किया है, जिसकी 1.1 मिलियन टन/वर्ष (एमएमटीपीए) एथिलीन और 0.6 एमएमटीपीए प्रोपलीन की उत्पादन क्षमता है, साथ ही डाउनस्ट्रीम पॉलीमर प्रोसेसिंग यूनिट (पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपलीन) की समान क्षमता भी है। यह परियोजना मार्च, 2017 के पहले सप्ताह में चालू हो गई है।
- पीसीपीआईआर का अहमदाबाद (दूरी-250 किमी) स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वडोदरा (90 किमी) और सूरत (85 किमी) के घरेलू हवाई अड्डों के साथ हवाई संपर्क है।

- iv. दाहेज में पोर्ट सुविधाओं का विवरण इस प्रकार है:
- दाहेज में अडानी पेट्रो नेट पोर्ट की क्षमता 11 एमएमटीपीए है
 - जीसीपीटीसीएल लिक्विड केमिकल्स टर्मिनल (4.9 एमएमटीपीए), जीसीपीटीसीएल
 - एलएनजी पेट्रो नेट लिमिटेड का एलएनजी पोर्ट (10 एमएमटीपीए)
 - रिलायंस की लिक्विड फ्यूल जेटी (2 एमएमटीपीए)
 - बिरला कॉपर की सॉलिड कार्गो जेटी (5 एमएमटीपीए)
- vi. जीआईडीसी ने दाहेज जीआईडीसी एस्टेट में 40 एमएलडी क्षमता वाली सीईटीपी सुविधा स्थापित की है। सायखा औद्योगिक एस्टेट में 40 एमएलडी क्षमता वाली एक और सीईटीपी है। दोनों सीईटीपी की कमीशनिंग हो चुकी है।

3.7 आंध्र प्रदेश पीसीपीआईआर:

- i. आंध्र प्रदेश पीसीपीआईआर को विकसित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 24.05.2008 के शा. आ. संख्या 373 के तहत विशेष विकास प्राधिकरण (एसडीए) का गठन किया गया है।
- ii. आंध्र प्रदेश पीसीपीआईआर में 6 मौजूदा एसईजेड नामतः ब्रांडिक्स एसईजेड, फार्मा एसईजेड, एपी-एसईजेड, हेटेरो ड्रग एसईजेड, काकीनाडा और पैरी फूड प्रोडक्ट एसईजेड शामिल हैं।
- iii. एपी पीसीपीआईआर के पास मौजूदा पोर्ट 3 हैं, काकीनाडा, गंगावरम और विशाखापत्तनम।
- iv. अचुटापुरम एसईजेड में 1 एमएलडी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) चालू हो चुका है, जबकि ब्रांडिक्स, जेएनपीसी-परवाड़ा में सीईटीपी और हेटेरो एसईजेड नक्कापल्ली में सीईटीपी पूरा हो चुका है।
- v. ब्रांडिक्स में 220 केवी उप-स्टेशन का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि नक्कापल्ली एवं अन्नावरम में 400 केवी के उप-स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- vi. सड़क, रेल संपर्क, जल आपूर्ति, अपशिष्ट उपचार और समुद्री निकास परियोजनाएं अध्ययन से लेकर कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

3.8 ओडिशा पीसीपीआईआर:

- i. पारादीप पीसीपीआईआर ओडिशा के केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जिलों में 284 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है।
- ii. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पारादीप स्थित 15 एमएमटीपीए क्षमता वाली रिफाइनरी फरवरी, 2016 में कमीशन की गई थी। यह रिफाइनरी पीसीपीआईआर के विकास के लिए एंकर टेनेंट भी है।
- iii. ओडिशा पीसीपीआईआर में मौजूदा औद्योगिक इकाइयों में चूड़ीवाल टेक्नो पैक प्राइवेट लिमिटेड, चिरपाल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, आयन एक्सचेंज लिमिटेड, धुनसेरी वेंचर्स लिमिटेड, इफको लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, पूर्व पैकेजिंग, साई बल्क बैग प्राइवेट लिमिटेड, सिलोक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रिन्सू इफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, निगाज पारादीप प्राइवेट लिमिटेड, ड्राई केम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आयन एक्सचेंज (इंडिया) लिमिटेड, पेरल प्रिसिजन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

अध्याय-4

पेट्रोरसायन की नई योजना और संवर्धनात्मक गतिविधि तथा प्रमुख कार्यक्रम

4.1 पेट्रोरसायन की नई योजना

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग पेट्रोरसायन की नई योजना के तहत निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करता है:

- क. प्लास्टिक पार्कों की स्थापना
- ख. उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना

(क) प्लास्टिक पार्कों की स्थापना

4.2 इस योजना का उद्देश्य घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित और समन्वित करने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आवश्यक अवसंरचना और सक्षम सामान्य सुविधाओं के साथ प्लास्टिक पार्क स्थापित करना है। इस योजना का व्यापक उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में योगदान करना है।

4.3 इस योजना के तहत, भारत सरकार परियोजना लागत का 50% तक वित्तपोषण प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपये है। शेष परियोजना लागत का वित्तपोषण राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों, लाभार्थी उद्योगों आदि द्वारा किया जाता है।

4.4 मध्य प्रदेश (दो), ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के राज्यों में अब तक 10 प्लास्टिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जैसा कि **अनुलग्नक-III** में बताया गया है:

(ख) उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना

4.5 इस योजना का उद्देश्य देश में मौजूदा पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी अनुसंधान में सुधार लाना तथा नए अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देना है। वर्ष 2017 तक कार्यान्वित की गई योजना के पहले चरण में भारत सरकार ने कुल परियोजना लागत की अधिकतम 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसकी अधिकतम सीमा 6 करोड़ रुपये थी। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकारी सहायता की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये है।

4.6 अब तक, 18 उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनका विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

(ग) रसायन संवर्धन विकास योजना (सीपीडीएस)

4.7 रसायन संवर्धन विकास योजना (सीपीडीएस) 1997 से कार्यान्वित की जा रही है। सीपीडीएस का उद्देश्य अध्ययन, सर्वेक्षण, डेटा बैंक, प्रचार सामग्री आदि के माध्यम से ज्ञान उत्पादों के निर्माण और इन क्षेत्रों के विकास को

सुविधाजनक बनाने के लिए सेमिनार, सम्मेलन, प्रदर्शनी आदि के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करके रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग के विकास और वृद्धि को सुविधाजनक बनाना है। इस योजना का उद्देश्य रसायन और पेट्रोरसायन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों को पुरस्कृत करके अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना भी है।

- 4.8** इस योजना का उद्देश्य विभिन्न संगठनों/उद्योग संघों आदि को कार्यशालाएं, सेमिनार, अध्ययन आदि आयोजित करने के लिए अनुदान-सहायता (सामान्य) के रूप में सहायता प्रदान करना है, ताकि रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नीतिगत मामलों पर विभाग को अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- 4.9** इस योजना के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो भारतीय उद्योग, व्यापार को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने, प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण और आयात प्रतिस्थापन के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए उपयोगी हैं। हरित प्रौद्योगिकी, रसायन सुरक्षा और हैंडलिंग, कीटनाशकों आदि पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनसे रसायन उद्योगों और किसानों को लाभ होता है। इस विभाग के स्वायत्त निकाय सिपेट और आईपीएफटी, और भारतीय रंजक एवं वर्णक निर्माता संघ (डीपीएमएआई), अल्कली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), आईसीसी आदि जैसे उद्योग संघ भारतीय रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग के विकास के लिए उपयोगी विषयों पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
- 4.10** वर्ष 2016 से, इस विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, हिल (इंडिया) लिमिटेड, फसलों में कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग पर सीपीडीएस के तहत किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और खाद्यान्नों, खाद्य तेलों, फलों और सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेषों को कम करने के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के प्रति किसानों में जागरूकता पैदा कर रहा है। वर्ष 2022-23 से, आईपीएफटी भी सीपीडीएस के तहत किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अब तक देश के विभिन्न भागों में लगभग 250 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य किसान आत्महत्या, मिट्टी के क्षरण, भूमिगत जल निकायों, जानवरों, पक्षियों और मनुष्यों को होने वाले नुकसान की समस्या का समाधान करना है, जो कृषि रसायनों के अंधाधुंध/अत्यधिक उपयोग के कारण खाद्य पदार्थों में अवशिष्ट कीटनाशकों के प्रतिकूल प्रभाव के अधीन हैं।

2019-20 से सीपीडीएस के तहत उपयोग की गई धनराशि इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	उपयोग की गई निधि
2020-21	3.50	2.80	2.80
2021-22	3.00	3.60	3.59
2022-23	3.00	3.00	2.99
2023-24	3.00	3.75	3.75
2024-25	5.50	5.50	4.69
2025-26	5.50	5.50	2.53*

(*07.11.2025 तक)

सीपीडीएस के तहत संवर्धनात्मक गतिविधियाँ और प्रमुख कार्यक्रम

रसायन और पेट्रोरसायन औद्योगिक सुरक्षा प्रशिक्षण

- 4.11** रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने विकसित भारत/2047 कार्य योजना के तहत देश भर में "कार्यस्थल पर खतरनाक रसायनों की सुरक्षित हैंडलिंग और खतरनाक रसायनों से जुड़े जोखिम को कम करने" के लिए प्रमुख दुर्घटना खतरनाक (एमएएच) इकाइयों के कार्यबल को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है।
- 4.12** 5 वर्षों की अवधि में सभी 2393 एमएएच इकाइयों को कवर करने के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 एमएएच इकाइयों से 100 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें से प्रत्येक इकाई से 2 कर्मचारी होंगे।
- 4.13** दिसंबर 2025 तक, गुजरात, दिल्ली, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर ऐसे 21 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1147 प्रमुख दुर्घटना जोखिम वाली इकाइयों सहित 1376 औद्योगिक इकाइयों ने भाग लिया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 2441 सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल विषयगत क्षेत्रों में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, प्रक्रिया सुरक्षा प्रबंधन, उन्नत जोखिम मूल्यांकन तकनीकें, विष विज्ञान, जोखिम पहचान तकनीकें, आपातकालीन तैयारी, रसायन सुरक्षा में आईसीटी और अन्य प्रौद्योगिकियों की भूमिका, वैश्विक मानकीकृत प्रणाली, हानि सांख्यिकी और हानि निवारण, पर्यावरण निवारण एवं रिसाव निवारण, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, रसायनों का लेबलिंग और सुरक्षा डेटा शीट (एसडीएस) तथा अग्नि एवं विस्फोट सुरक्षा शामिल हैं, साथ ही व्यावहारिक अनुभव के लिए मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई।

अध्याय -5

अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं संधियाँ

5.1 रासायनिक हथियार कन्वेंशन (सीडब्ल्यूसी)

रासायनिक हथियार कन्वेंशन एक सार्वभौमिक, गैर-भेदभावपूर्ण, बहुपक्षीय, निरस्त्रीकरण संधि है, जो सभी रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, उपयोग और भंडारण पर प्रतिबंध लगाती है। यह संधि सभी पक्षकार राष्ट्रों को समान स्तर पर रखती है। रासायनिक हथियार रखने वाले देशों को एक निश्चित समय सीमा में इन हथियारों के बारे में बताना और नष्ट करना आवश्यक है और जो देश ऐसे रसायनों का उत्पादन और उपयोग करते हैं जिन्हें आसानी से रासायनिक हथियारों में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें इन रसायनों के उपयोग के बारे में स्पष्ट और पारदर्शी होना चाहिए। पेरिस, फ्रांस में 13 जनवरी, 1993 को यह कन्वेंशन हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था।

- i. भारत रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) के रासायनिक हथियार कन्वेंशन (सीडब्ल्यूसी) का एक हस्ताक्षरकर्ता और पक्षकार है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है।
- ii. भारत ने 14 जनवरी, 1993 को पेरिस में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसरण में, भारत ने रासायनिक हथियार अभिसमय अधिनियम, 2000 को अधिनियमित किया। आज की तारीख में, 193 देश इस कन्वेंशन के पक्षकार हैं।
- iii. रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग सीडब्ल्यूसी अधिनियम, 2000 का प्रशासनिक विभाग है। रासायनिक हथियार अभिसमय अधिनियम, 2000, देश में 1 जुलाई, 2005 से लागू है।
- iv. रासायनिक हथियार कन्वेंशन राष्ट्रीय प्राधिकरण (एनएसीडब्ल्यूसी) की स्थापना 1997 में भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के एक कार्यालय के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत सरकार की ओर से रासायनिक हथियार कन्वेंशन के तहत दायित्वों को पूरा करना और कन्वेंशन से संबंधित मामलों पर रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) और अन्य पक्षकार राष्ट्रों के साथ प्रभावी संपर्क के लिए राष्ट्रीय केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करना है।
- v. कन्वेंशन में रसायनों की तीन अनुसूचियां संलग्न की गई हैं, जिनके बारे में बताना आवश्यक है तथा वे इस प्रकार हैं:
 - क. अनुसूची-1 रसायन (16 रसायन) (अर्थात् रासायनिक हथियार);
 - ख. अनुसूची-2 रसायन (14 रसायन) (अर्थात् रासायनिक हथियारों के पूर्ववर्ती);
 - ग. अनुसूची-3 रसायन (17 रसायन) (अर्थात् दोहरे उपयोग वाले रसायन)।

5.2 रॉटरडैम कन्वेंशन

- i. रॉटरडैम कन्वेंशन कुछ खतरनाक रसायनों के आयात के संबंध में साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुपक्षीय संधि है।

- ii. यह कन्वेंशन सूचना के खुले आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है तथा खतरनाक रसायनों के निर्यातकों से उचित लेबलिंग का उपयोग करने, सुरक्षित हैंडलिंग के निर्देश शामिल करने तथा किसी भी ज्ञात प्रतिबंध या रोक के बारे में क्रेताओं को सूचित करने का आह्वान करता है।
- iii. हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र यह निर्णय ले सकते हैं कि संधि में सूचीबद्ध रसायनों के आयात की अनुमति दी जाए या उस पर प्रतिबंध लगाया जाए।
- iv. कन्वेंशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इस में निम्नलिखित दो प्रमुख प्रावधान हैं:—

5.2 (क) पूर्व सूचित सहमति (पीआईसी) प्रक्रिया

- I. पीआईसी प्रक्रिया आयातक पक्षों से यह सूचना प्राप्त करने की एक प्रणाली है कि क्या वे कन्वेंशन के **अनुलग्नक III** में सूचीबद्ध रसायनों की भावी खेप प्राप्त करना चाहते हैं।
- II. सभी पक्षों को यह निर्णय लेना आवश्यक है कि वे संधि के **अनुलग्नक III** में वर्णित प्रत्येक रसायन के भविष्य में आयात की अनुमति देंगे या नहीं। इन निर्णयों को आयात प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है।
- III. सचिवालय द्वारा पीआईसी प्रक्रिया के अधीन प्रत्येक रसायन के लिए दी गई आयात प्रतिक्रियाओं की सूची सभी नामित राष्ट्रीय प्राधिकरणों को हर छह महीने में पीआईसी परिपत्र के माध्यम से परिचालित की जाती है और सभी आयात प्रतिक्रियाएं कन्वेंशन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

IV. कन्वेंशन के पीआईसी विनियमन में विभिन्न अनुलग्नक नीचे दिए गए हैं:

- **अनुलग्नक— I** में अधिसूचनाओं के लिए सभी आवश्यक सूचनाओं का विवरण दिया गया है।
- **अनुलग्नक—II** के अनुसार, किसी रसायन पर प्रतिबंध लगाने या उसे प्रतिबंधित करने के लिए अंतिम विनियामक कार्रवाई की अधिसूचना प्रस्तुत करने वाले पक्ष के देश में प्रचलित स्थितियों के संदर्भ में वैज्ञानिक डेटा की समीक्षा के आधार पर जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। डेटा को वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त विधियों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और डेटा की समीक्षा ठोस वैज्ञानिक सिद्धांतों और विधियों के अनुरूप की जानी चाहिए।
- **अनुलग्नक— III** में कीटनाशक और औद्योगिक रसायन शामिल हैं जिन्हें दो या अधिक पक्षों द्वारा स्वास्थ्य या पर्यावरणीय कारणों से प्रतिबंधित या गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया गया है और जिनको पक्षकारों के सम्मेलन ने पीआईसी प्रक्रिया के अधीन करने का निर्णय लिया गया है।
- **अनुलग्नक III** में कुल 55 रसायन सूचीबद्ध हैं, जिनमें 36 कीटनाशक (3 अत्यंत खतरनाक कीटनाशक फॉर्मूलेशन (एसएचपीएफ) सहित), 18 औद्योगिक रसायन और 1 रसायन कीटनाशक और औद्योगिक रसायन दोनों श्रेणियों में शामिल हैं।
- **अनुलग्नक— IV** में एसएचपीएफ को **अनुलग्नक III** में सूचीबद्ध करने के लिए सूचना और मानदंड निर्धारित किए गए हैं तथा अतिरिक्त सूचना, उदाहरण के लिए, जहां उपलब्ध हो, जोखिम और/या खतरा मूल्यांकन, मांगी जानी है।

5.2 (ख) सूचना विनियम

- i. यह कन्वेंशन संभावित खतरनाक रसायनों की एक बहुत व्यापक श्रृंखला के संबंध में पक्षों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

- ii. इस कन्वेंशन के अनुसार प्रत्येक पक्ष को किसी रसायन पर प्रतिबंध लगाने या उसे गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने के लिए घरेलू विनियामक कार्रवाई करते समय सचिवालय को सूचित करना आवश्यक है।
- iii. जब किसी पक्ष द्वारा प्रतिबंधित या गंभीर रूप से प्रतिबंधित किसी रसायन का उसके क्षेत्र से निर्यात किया जाता है, तो उस पक्ष को प्रत्येक आयातक पक्ष को प्रथम शिपमेंट से पहले तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष इसकी सूचना देनी होगी।
- iv. प्रतिबंधित या गंभीर रूप से प्रतिबंधित रसायनों के निर्यात के साथ-साथ पीआईसी प्रक्रिया के अधीन रसायनों को उचित रूप से लेबल किया जाना चाहिए तथा उनके साथ सुरक्षा डाटा शीट के रूप में मूलभूत स्वास्थ्य और सुरक्षा जानकारी संलग्न की जानी चाहिए।

5.3 पक्षकार और उनके नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण (डीएनए)

पक्षकार वे देश या क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन हैं जिन्होंने कन्वेंशन की पुष्टि की है, उसे स्वीकार किया है, अनुमोदन किया है या उसमें शामिल हुए हैं। प्रत्येक पक्षकार को एक या अधिक राष्ट्रीय प्राधिकरणों को नामित करना चाहिए, जो कन्वेंशन के संचालन से संबंधित मामलों के लिए प्राथमिक संपर्क बिंदु हैं और कन्वेंशन द्वारा अपेक्षित प्रशासनिक कार्य करने के लिए अधिकृत हैं।

5.4 डीएनए अन्य पक्षों और सचिवालय के लिए कन्वेंशन से संबंधित मामलों के लिए प्रमुख संपर्क बिंदु भी हैं।

भारत से डीएनए

औद्योगिक रसायन	श्री दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव (रसायन), रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, कमरा नंबर 340-सी, 'ए' विंग, शास्त्री भवन – 110001 नई दिल्ली	jschem-cpc@gov.in
----------------	--	-------------------

5.5 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) की भूमिका

- i. रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) केवल हस्ताक्षरित संस्करण पर ही कार्रवाई करेगा, जिसमें स्पष्ट सहमति के लिए प्रश्नावली संलग्न हो, न कि, डीएनए (नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण) के हस्ताक्षर के बिना प्रारंभिक संस्करण पर।
- ii. अधिसूचना में, जहां प्रस्तावित रसायन रॉटरडैम कन्वेंशन के **अनुलग्नक-III** के अंतर्गत आता है और अधिसूचना की धारा 6.2 में रसायन को 'कीटनाशक' और 'औद्योगिक रसायन' दोनों या केवल औद्योगिक रसायन के रूप में चिह्नित किया गया है, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग उद्योग से संगत दस्तावेजों की मांग करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयात किए जा रहे रसायनों का उपयोग उनकी अधिसूचना की उप धारा 3.3 में उल्लिखित उद्देश्य के लिए ही किया जा रहा है।
- iii. जिन अधिसूचनाओं में उल्लिखित रसायन **अनुलग्नक-III** में सूचीबद्ध नहीं हैं, उनके लिए रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने ईसीएचए (यूरोपीय रासायनिक एजेंसी) को सूचित करता है कि विभाग केवल उन्हीं

रसायनों को स्वीकार करता है जो रॉटरडैम कन्वेंशन की पीआईसी प्रक्रिया के **अनुलग्नक-III** में सूचीबद्ध हैं।

- iv. रॉटरडैम कन्वेंशन के पक्षकारों का फेस-टू-फेस सम्मेलन हर दो साल में कन्वेंशन के कार्यान्वयन की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह कन्वेंशन और उसके अनुलग्नकों में संशोधनों पर विचार करता है और आवश्यकतानुसार उन्हें अपनाता है, जैसे रासायनिक समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत नए रसायनों को सूचीबद्ध करना। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग समय-समय पर आयोजित होने वाली इन सीओपी बैठकों में भाग लेता है।

5.6 स्टॉकहोम कन्वेंशन

- i. स्थायी आर्गेनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जिस पर 22 मई 2001 को स्टॉकहोम में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 17 मई, 2004 से प्रभावी है। इसका उद्देश्य स्थायी आर्गेनिक प्रदूषकों (पीओपी) के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना या प्रतिबंधित करना है।
- ii. स्टॉकहोम कन्वेंशन का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी आर्गेनिक प्रदूषकों (पीओपी) के प्रभावों से बचाना है।
- iii. भारत सरकार ने 13 जनवरी, 2006 को अनुच्छेद 25(4) के अनुसार स्टॉकहोम कन्वेंशन को अंगीकार किया था।
- iv. पक्षकारों को **अनुलग्नक-क** के अंतर्गत सूचीबद्ध रसायनों के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करने के लिए उपाय करने चाहिए। **अनुलग्नक-क** में विशिष्ट छूट उपलब्ध हैं और ये केवल उन पक्षकारों पर लागू होती हैं जिन्होंने उनके लिए पंजीकरण कराया है।

5.7 अनुलग्नक ख (प्रतिबंध)

पक्षकारों को **अनुलग्नक-ख** के अंतर्गत सूचीबद्ध रसायनों के उत्पादन और उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए किसी भी लागू/स्वीकार्य उद्देश्यों और/या अनुलग्नक में सूचीबद्ध विशिष्ट छूट के मद्देनजर उपाय करने होंगे।

5.8 अनुलग्नक ग (अप्रत्याशित उत्पादन)

पक्षकारों को **अनुलग्नक-ग** के अंतर्गत सूचीबद्ध रसायनों के अप्रत्याशित होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए उपाय करने होंगे, जिसका लक्ष्य इसे निरंतर न्यूनतम करना तथा जहां संभव हो, वहां इसे अंतिम रूप से समाप्त करना है।

अध्याय - 6

भोपाल गैस रिसाव आपदा

6.1 दिनांक 2/3 दिसंबर, 1984 की मध्य रात्रि में भोपाल में यूनियन कार्बाइड पेस्टीसाइड फैक्ट्री के दो टैंकों में स्टोर की गई "मिथाइल आइसोसायनेट" (एमआईसी) नामक एक घातक गैस के वातावरण में रिसने के परिणामस्वरूप ऐसी भयानक औद्योगिक त्रासदी हुई जो परिमाण में अतुलनीय थी और इसके कारण भोपाल शहर में बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल/बेहोश हुए, साथ ही जिसके फलस्वरूप तत्काल हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। दुर्घटना के तत्काल बाद विभिन्न राहत और पुनर्वास उपाय किए गए और ये अभी भी जारी हैं।

मुआवजे के दावों पर निर्णय

6.2 क्षतिपूर्ति और नुकसान के लिए भारत के विभिन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए थे, अभियोजन भी शुरू किया गया था। भारत सरकार ने भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों पर कार्रवाई) अधिनियम, 1985 नामक एक अधिनियम बनाया। यह अधिनियम 20 फरवरी, 1985 से प्रवृत्त हुआ। इसने भारत सरकार को गैस त्रासदी से उत्पन्न होने वाले दावों के संबंध में सभी मुकदमों को अपने नियंत्रण में लेने और पीड़ितों और प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का अधिकार दिया। इस अधिनियम के तहत, सरकार ने प्रत्येक दावे के पंजीकरण, क्षतिपूर्ति के निर्धारण की कार्यवाही और उससे उत्पन्न होने वाली अपीलों, यदि कोई हों, के लिए एक योजना बनाई जिसे भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों का पंजीकरण और कार्रवाई) योजना, 1985 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत, भारत सरकार द्वारा गैस रिसाव आपदा के पीड़ितों और पीड़ित परिवारों के लिए त्वरित निर्णय लेना और उन्हें मुआवजा देने के लिए कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित स्थापित किया गया था।

6.3 बीजीएलडी के कारण हुई मानवीय पीड़ा की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 14 और 15 फरवरी, 1989 को सेटलमेंट ऑर्डर पारित किया जिसमें यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन को 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जिसे कंपनी द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास 1989 में जमा करा दिया गया था।

मूल मुआवजा

6.4 मुआवजों का वास्तविक संवितरण वर्ष 1992 में आरंभ हुआ और 31 अक्टूबर, 2025 तक कल्याण आयुक्त कार्यालय ने मृत्यु, स्थायी अपंगता, अस्थायी अपंगता, अत्यंत गंभीर चोटें, मामूली चोटें, सम्पत्ति/पीएसयू का नुकसान एवं पशुधन की हानि जैसी श्रेणियों में 5,74,395 दावेदारों को मुआवजे के रूप में 1549.34 करोड़ रुपए बांटे/वितरित किए।

यथानुपात मुआवजा

6.5 सर्वोच्च न्यायालय ने 19 जुलाई, 2004 के आदेश के तहत कल्याण आयुक्त को लगभग 1500 करोड़ रुपए की वह शेष राशि जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास ब्याज संचय और विनिमय दर में विचलन से संग्रहीत हो गई थी, को यथानुपात रूप से (मूल मुआवजा के 1:1 के अनुपात में) उन दावेदारों को संवितरित करने का निर्देश दिया,

जिनके मामलों का निपटान हो चुका था। यथानुपात मुआवजे के संवितरण का कार्य नवंबर, 2004 से शुरू हुआ। 31 अक्टूबर, 2025 तक यथानुपात मुआवजे के रूप में 5,63,161 मामलों में 1518.02 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं। यथानुपात मुआवजे के संवितरण का कार्य जारी है।

अनुग्रह राशि का संवितरण

6.6 भोपाल गैस रिसाव आपदा पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों पर, सरकार ने गैस पीड़ितों को और अधिक राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के लिए वर्ष 2010 में कतिपय निर्णय लिए। सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में एक महत्वपूर्ण निर्णय गैस पीड़ितों की निम्नलिखित श्रेणियों को अनुग्रह राशि का भुगतान करना था:

गैस पीड़ितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि की श्रेणियाँ

श्रेणी	अनुग्रह राशि की मात्रा/दर
मृत्यु	10 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
स्थायी अपंगता	5 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
अत्यंत गंभीर चोटें	5 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
कैंसर	2 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
पूरी तरह गुर्दा खराब	2 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
अस्थायी अपंगता	1 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)

6.7 सरकार द्वारा उपरोक्त श्रेणियों के पीड़ितों के बीच अनुग्रह राशि के वितरण के लिए 940.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। कल्याण आयुक्त कार्यालय ने 19 दिसंबर, 2010 से गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि का वितरण शुरू कर दिया है। कुल 65661 मामलों का निपटान हो चुका है और 30 नवंबर, 2025 तक स्वीकृत मामलों में 903.44 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

अध्याय -7

रसायन एवं पेट्रोरसायन उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार एवं व्यापार आसूचना

रसायन और पेट्रोरसायन के लिए अनिवार्य बीआईएस मानक:

- 7.1 घरेलू रूप से उत्पादित और आयातित रसायन एवं पेट्रोरसायन में अशुद्धियां हो सकती हैं और ये मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकते हैं। प्रयोग में लाए जाने पर ये उत्पाद बीआईएस मानकों में विहित उन तकनीकी विशेषताओं को पूरा नहीं करते हैं जो वर्तमान में अधिकांश उत्पादों के लिए स्वैच्छिक प्रकृति की हैं। इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि देश में उत्पादित रसायनों/पेट्रोरसायनों की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ आयातित रसायनों की भी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। इस उद्देश्य के साथ, विभाग ने रसायनों/पेट्रोरसायनों के मानकों को अनिवार्य बनाने का काम शुरू किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश में ऐसे रसायनों/पेट्रोरसायनों के आयातक और घरेलू विनिर्माता, दोनों ही बीआईएस गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करें। ऐसे रसायन/पेट्रोरसायन भारतीय मानक ब्यूरो से प्राप्त किए जाने वाले लाइसेंस के तहत मानक चिन्ह धारण करेंगे। इस तंत्र से इन उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी, क्योंकि, कुछ देश निम्न गुणवत्ता वाले और खराब रसायन/पेट्रोरसायन देश में खपा सकते हैं, जो वर्तमान में बीआईएस मानकों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।
- 7.2 अतः विभाग ने निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत लोक हित में प्रमुख रसायनों एवं पेट्रोरसायनों के लिए मानकों को अनिवार्य अनिवार्य बनाने हेतु कदम उठाए हैं:
- (i) मानव, पशु या पादप स्वास्थ्य की सुरक्षा
 - (ii) पर्यावरण की रक्षा, या
 - (iii) अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम, या
 - (iv) राष्ट्रीय सुरक्षा
- 7.3 इन उपायों के साथ, विनिर्माताओं और आयातकों को बीआईएस (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 का पालन करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जो इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29 के प्रावधानों के अधीन दंडनीय होगा। अनिवार्य मानकों के प्रावधानों के अनुसार, उपर्युक्त रसायनों के विनिर्माता बीआईएस मानकों के अनुरूप होंगे और बीआईएस से प्राप्त लाइसेंस के तहत मानक चिन्ह धारण करेंगे। इसमें ऐसी कोई भी आयातित सामग्री शामिल है, जिसके लिए विदेश में रहने वाले निर्यातक को विदेशी विनिर्माता प्रमाणन स्कीम (एफएमसीएस) के तहत बीआईएस लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है।
- 7.4 विभाग द्वारा जिन विभिन्न रसायनों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए हैं, उनकी सूची अनुलग्नक V में दी गई है।

अध्याय - 8

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)

- 8.1** हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) को डाई, डाई-इंटरमीडिएट्स, रबर रसायनों, कीटनाशकों, औषधों और फार्मास्यूटिकल्स लेमिनेट्स आदि के उत्पादन के लिए आवश्यक रसायनों/इंटरमीडिएट्स के लिए ऐसी विनिर्माण क्षमताएं स्थापित करने हेतु सरकारी कंपनी के रूप में 12 दिसम्बर, 1960 को निगमित किया गया था। कंपनी की रसायनी (महाराष्ट्र) और कोच्चि (केरल) स्थित दो विनिर्माण इकाइयां थीं। रसायनी यूनिट (रसायन परिसर) ने वर्ष 1970-71 से उत्पादन शुरू किया था और कोच्चि यूनिट (फिनॉल कॉम्प्लेक्स) ने वर्ष 1987-88 से उत्पादन करना प्रारंभ किया था। कोच्चि यूनिट में फिनॉल, एसीटोन एवं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विनिर्माण करने वाले संयंत्र हैं। एचओसीएल के लिए भारत सरकार द्वारा 17.05.2017 को अनुमोदित एक पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन के बाद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड (सीएनए)/डाईनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड (N_2O_4) संयंत्र जिसे अंतरिक्ष विभाग/इसरो को हस्तांतरित कर दिया गया है, को छोड़कर रसायनी यूनिट को बंद कर दिया गया है। एचओसीएल की एक सहायक कंपनी, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल), रुद्रराम, तेलंगाना में स्थित है, जिससे संबंधित ब्योरा इस अध्याय में आगे दिया गया है।
- 8.2** एचओसीएल की प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 100 करोड़ रुपये और 67.27 करोड़ रुपये है। भारत सरकार कंपनी की 58.78% इक्विटी की मालिक है। एचओसीएल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध है।
- 8.3** वर्ष 1990 के शुरू में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के कारण, वर्ष 1997-98 में पहली बार एचओसीएल को घाटा हुआ। लगातार घाटा होने के कारण वर्ष 2003-04 तक कंपनी का नेट वर्थ नेगेटिव हो गया और उसे फरवरी, 2005 में पूर्ववर्ती औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को रेफर कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 2006 को कंपनी के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित किया।
- 8.4** तथापि, वैश्विक मंदी के प्रभाव के परिणामस्वरूप, बाजार में मुख्य रूप से मंदी का रुख कायम रहने के कारण, वर्ष 2008-09 और वर्ष 2009-10 में कंपनी को पुनः घाटा हुआ। हालांकि वर्ष 2010-11 के दौरान इसने लाभ अर्जित किया, किंतु इसके बाद और इसके मुख्य उत्पादों, फिनॉल और एसीटोन पर एंटी-डंपिंग शुल्क को वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप 2011-12 और 2012-13 के दौरान हुए घाटे के साथ स्थिति पहले की अपेक्षा और अधिक खराब हो गई। सरकार ने कंपनी को लिक्विडिटी संबंधी समस्याओं से उबरने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार को जारी किए गए 270 करोड़ रुपये के वरीयता शेयरों के रीडेम्पशन के स्थगन को 1 अगस्त, 2013 को मंजूरी दी (आवंटन तारीख 24.01.2008) जो वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक रीडेम्पशन के लिए देय था। 100 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी को भी अगस्त, 2017 तक आगे बढ़ा दिया गया।
- 8.5** इसके अलावा, जुलाई 2014 में एचओसीएल को कंपनी द्वारा अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारी बकाया आदि के प्रति देनदारियों के भुगतान के लिए बांड जारी करने

हेतु 150 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी प्रदान की गई थी। इसने कंपनी को अपनी कोच्चि और रसायनी इकाइयों में विनिर्माण परिचालन बहाल करने में सक्षम किया। हालांकि, उस समय पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वैश्विक गिरावट से फिनोल और एसीटोन की कीमतों में भारी गिरावट आई और कंपनी को लाभदायक दरों पर उत्पादों को बेचने और पर्याप्त कार्यशील पूंजी उत्पन्न करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इससे कोच्चि और रसायनी दोनों इकाइयों में परिचालन बार-बार बंद हुआ, जिससे एचओसीएल का वित्तीय संकट और बढ़ गया। लगातार घाटे और कार्यशील पूंजी की कमी के कारण, कंपनी 2015 से 2017 के दौरान कर्मचारियों को नियमित वेतन और वैधानिक बकाया का भुगतान करने में सक्षम नहीं थी। एचओसीएल की पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन के चलते, रसायनी इकाई के संयंत्र प्रचालन बंद कर दिए गए हैं। कोच्चि इकाई में फिनोल/एसीटोन संयंत्र में जुलाई, 2017 से प्रचालन फिर से शुरू किया गया और तब से नियमित रूप से प्रचालित किया जा रहा है। एचओसीएल कोच्चि इकाई को वर्ष 2020 और 2021 के लिए बड़े रसायन उद्योग श्रेणी में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कोच्चि से सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हुआ।

वित्तीय निष्पादन

8.6 पिछले 5 वर्षों के दौरान एचओसीएल के कारोबार और निवल लाभ/हानि के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन और 31.3.2025 को इसकी निवल संपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	कारोबार	निवल लाभ (हानि)
2020-21	411.57	15.97 *
2021-22	433.67	(26.19)
2022-23	631.44	(50.22)
2023-24	703.89	(55.32)
2024-25	535.87	394.87

31.03.2025 को निवल संपत्ति (नए लेखा मानक आईएनडी एस के अनुसार जिसमें भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन शामिल है): 1104.81 करोड़ रुपये।

कंपनी अधिनियम के अनुसार निवल संपत्ति (भूमि और अन्य परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन को छोड़कर) 31.03.2025 तक: 133.07 करोड़ रुपये।

* भारतीय लेखा मानकों के अनुसार पुनः प्रस्तुत किया गया।

उत्पादन विवरण

मात्रा (मीट्रिक टन में)

उत्पाद	वार्षिक क्षमता	2023-24	2024-25	% कमी
फिनोल	40,000	47,518	34,874	26.61
एसीटोन	24,600	29,613	21,790	26.42
हाइड्रोजन पेरोक्साइड	10,450	10,579	10,151	4.04

एचओसीएल के लिए पुनर्गठन योजना

8.7 भारत सरकार ने 17.05.2017 को एचओसीएल के लिए एक पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी, जिसमें N_2O_4 संयंत्र को छोड़कर, जिसे संयंत्र के साथ संबद्ध कर्मचारियों तथा लगभग 20 एकड़ जमीन के साथ 'जैसा है, जहां है' के आधार पर इसरो को हस्तांतरित करने समेत एचओसीएल की रसायनी इकाई के सभी अलाभकारी संयंत्रों के कार्य प्रचालन को बंद किया जाना शामिल है। N_2O_4 संयंत्र का सामरिक महत्व है, क्योंकि यह N_2O_4 का एक मात्र स्वदेशी स्रोत है। इसरो द्वारा इसका उपयोग स्पेस लॉन्च व्हीकल्स में लिक्विड रॉकेट प्रॉपलेट के रूप में किया जाता है। पुनर्गठन योजना में 1008.67 करोड़ रु. (नकद) का वित्तीय निहितार्थ है, जिसे आंशिक रूप से रसायनी स्थित एचओसीएल की 442 एकड़ भूमि को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (618.80 करोड़ रुपये) को बेचकर और शेष राशि को भारत सरकार से ब्रिज लोन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इन निधियों का उपयोग कंपनी की विभिन्न देनदारियों जिनमें कर्मचारियों के बकाए वेतन और वैधानिक देय राशि के भुगतान तथा 250 करोड़ रुपये के सरकार की गारंटी वाले बांडों का भुगतान और रसायनी यूनिट में स्केलेटल कर्मचारियों के रूप में रखे गए लोगों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस देना शामिल है, पर किया जाएगा। रसायनी इकाई की शेष अभारग्रस्त भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों को बेचकर कंपनी की अन्य सरकारी देनदारियों के साथ-साथ ब्रिज लोन की राशि का सरकार को भुगतान किया जाना है। इसके अलावा, भारत सरकार ने 1351.37 करोड़ रुपये की सरकारी देनदारी के अधित्याग को 21.03.2025 के अनुमोदन दिया है। भूखंडों की विक्री से प्राप्त राशि को सरकार के पास जमा किया जाएगा।

8.8 पुनर्गठन योजना के लागू होने के बाद, कोच्चि इकाई में स्थित फिनोल/एसीटोन संयंत्र ने जुलाई 2017 से नियमित परिचालन फिर से शुरू कर दिया। इससे एचओसीएल की कोच्चि इकाई ने 2018-19 के दौरान 472 करोड़ रुपये का निवल कारोबार (2017-18 में 223 करोड़ रुपये) और 22 करोड़ रुपये का निवल लाभ (2017-18 में 65.24 करोड़ रुपये का निवल घाटा) हासिल किया। एचओसीएल ने भारत सरकार के बकाया ऋणों (मूलधन) का 2019-20 के दौरान 26.85 करोड़ रुपये, 2020-21 के दौरान 15.56 करोड़ रुपये, 2021-22 के दौरान 14.04 करोड़ रुपये और 2024-25 के दौरान 16.70 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल)

8.9 हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल), हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) की एक सहायक कंपनी है, जिसे दिनांक 14.07.1983 को अधिनिगमित किया गया था। यह रुद्रराम, तेलंगाना में स्थित

है। कंपनी ने वर्ष 1987 में उत्पादन शुरू किया और यह पॉली टेटरा फ्लोरो एथिलीन (पीटीएफई) और क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन (सीएफएम-22) के उत्पादन का कार्य कर रही है। पीटीएफई का उपयोग रासायनिक, यांत्रिक, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है और रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्रों में इसका सामरिक उपयोग किया जाता है। सीएफएम-22 को सीधे रेफ्रिजरेंट गैस के रूप में बेचा जाता है और पीटीएफई के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में भी उपयोग किया जाता है।

- 8.10** एचएफएल की अधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 21 करोड़ रुपये और 19.61 करोड़ रुपये है। एचओसीएल (प्रमोटर कंपनी) के पास कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी का 56.43% हिस्सा है और शेष हिस्सा जनता (39.13%) और आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (4.44%) के पास है। एचएफएल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध है।
- 8.11** एचएफएल को वर्ष 1987-88 में कार्य प्रारंभ करने के समय से ही घाटा होने लगा, जिसके परिणामस्वरूप इसके नेट वर्थ में गिरावट आ गई और वर्ष 1994 में इसे पूर्ववर्ती औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को रेफर किया गया। बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03.12.2007 को एचएफएल के लिए प्रचालन एजेंसी, मैसर्स आईडीबीआई के अधीन एक पुनरुद्धार पैकेज की मंजूरी दी गई। इस पुनरुद्धार पैकेज की कुल लागत 19.28 करोड़ रुपये थी और इसमें किसी भी सरकारी निधि को दिया जाना शामिल नहीं था। पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के पश्चात, एचएफएल ने वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक आंशिक लाभ हासिल किया। तथापि, कंपनी बीआईएफआर से बाहर नहीं आई क्योंकि इसका नेट वर्थ निगेटिव रहा। एचएफएल को मुख्य रूप से वर्ष 1997 और 2007 के वेतन संशोधन संबंधी बकाया राशि का प्रावधान करने और उत्पादों की बिक्री में कमी आने के कारण, वर्ष 2013-14 में पुनः 24.82 करोड़ रुपये की हानि हुई। उसके बाद, मुख्य रूप से उत्पादों की बिक्री में कमी के कारण कंपनी के घाटे में रहने का सिलसिला जारी है। 2007 के पुनरुद्धार पैकेज के बावजूद, कंपनी का नेट वर्थ निगेटिव रहा है।

एचएफएल का बंद होना

- 8.12** एचएफएल पहले सीएफएम-22/एचसीएफसी-22 का उत्पादन करती थी और इसका अधिकांश भाग सीधे रेफ्रिजरेंट गैस के रूप में बेचती थी, क्योंकि संयंत्र की अलाभकारी क्षमता और पुरानी तकनीक के कारण इसका पीटीएफई में रूपांतरण कंपनी के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था। कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (एमओईएफसीसी) द्वारा एचसीएफसी-22 उत्पादन कोटा केवल 283 मीट्रिक टन आवंटित किया गया था। 2020 में एचसीएफसी-22 कोटा कम होने के कारण, एचएफएल का संचालन अव्यवहार्य हो गया और उसे अप्रैल-मई 2020 के बाद संयंत्र बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- 8.13** एचएफएल की खराब वित्तीय स्थिति और मौजूदा परिचालन की अव्यवहार्यता को देखते हुए, सीसीईए ने 22.01.2020 को अपनी बैठक में एचएफएल के संयंत्र/इकाई के परिचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के लिए इस विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- 8.14** मई, 2020 में वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत भारत की आकस्मिकता निधि (सीएफआई) से अग्रिम के रूप में 73.70 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण और मार्च 2022 में एचएफएल को तत्काल बंद करने से संबंधित देनदारियों के निपटान के लिए 2.17 करोड़ रुपये प्राप्त होने के बाद, कंपनी के प्रचालन बंद करने के लिए आवश्यक कार्रवाई

शुरू की गई। 30.09.2022 तक, स्केलेटल स्टाफ के रूप में रखे गए 5 कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस पर कार्यमुक्त कर दिया गया है या वे अपने टर्मिनल और बकाया देय राशि का भुगतान मिलने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं। प्राप्त निर्देशों के अनुसार, 5 नियमित कर्मचारियों को 3 सितंबर, 2022 से एचओसीएल की रोल पर स्थानांतरित कर दिया गया है और गैर-नियमित कर्मचारियों को 23 सितंबर, 2022 को वीएसएस मुआवजा देकर कार्यमुक्त कर दिया गया है। जुलाई 2020 से संयंत्र का नियमित परिचालन बंद था, लेकिन दिसंबर 2020 में अंतिम रूप से संयंत्र को बंद कर दिया गया और संयंत्र की सफाई करके उसे डिस्पोजल के लिए तैयार रखा गया। एचएफएल के परिसर से संयंत्र और मशीनरी हटा दी गई है और अब केवल भूमि पार्सल ही डिस्पोजल के लिए बचा है।

वित्तीय निष्पादन

- 8.15** वर्ष 2020-21 से कंपनी की विनिर्माण संबंधी गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार, कंपनी का निवल संपत्ति 82.27 करोड़ रुपये (माइनस) है।
- 8.16** एचएफएल वर्तमान में प्रतिभूतियों की डीलिरिंटिंग की प्रक्रिया में है। एचएफएल ने सेबी को इक्विटी शेयरों की डीलिरिंटिंग विनियमन 2021 के विनियमन 35 (1) (क) और (ख) और 35 (2) (घ) के प्रवर्तन से छूट की मांग करते हुए आवेदन किया था। सेबी ने 12.09.2023 के पत्र के माध्यम से छूट को मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा, बीएसई ने पत्र संख्या एलओडी/डीलिरिंटिंग/वीके/आईपी/430/2025-26 दिनांक 02.07.2025 के माध्यम से एचएफएल के इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक डीलिरिंटिंग के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। सेबी ने पत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-आरएसी-डीसीआर1/पी/ओडब्ल्यू/2025/19032/1 दिनांक 16.07.2025 के माध्यम से दो वर्षीय निकास प्रस्ताव अवधि को घटाकर एक वर्ष कर दिया है। तदनुसार, 18.07.2025 को एचओसीएल, मर्चेंट बैंकर और एस्करो बैंकर के बीच एक त्रिपक्षीय एस्करो समझौता किया गया। डीलिरिंटिंग के संबंध में 30.07.2025 को समाचार पत्रों में सार्वजनिक घोषणा की गई और एचएफएल के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने शेयर बेचने के लिए 01.08.2025 को प्रस्ताव पत्र भेजे गए।

एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड

- 8.17** एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है। कंपनी की स्थापना मूल रूप से राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए डीडीटी के निर्माण और आपूर्ति के उद्देश्य से की गई थी।
- 8.18** वर्ष 1982 में, एचआईएल ने रसायनी में कृषि रसायनों के निर्माण में विविधता लाई। इसके उत्पाद समूह में कीटनाशक टेक्निकल्स एवं फार्मूलेशन्स की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें कीटनाशक (मैलाथियन, क्लोरपाइरिफोस, इमिडाक्लोप्रिड, आदि), फफूंदनाशक (मैनकोजेब, कार्बेन्डाजिम, आदि), खरपतवारनाशक (ग्लाइफोसेट, पेंडिमैथालिन, आदि) और जल-घुलनशील उर्वरक (डब्ल्यूएसएफ) शामिल हैं। कंपनी का एक मजबूत अखिल भारतीय विपणन नेटवर्क है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों और किसान जागरूकता अभियानों के माध्यम से कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से लगी हुई है।
- 8.19** वर्ष 2012-13 में, एचआईएल ने बीज उत्पादन में और अधिक विविधता लाई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

द्वारा इसे राष्ट्रीय स्तर की बीज उत्पादन एजेंसी (एनएलए) का दर्जा दिया गया। एचआईएल सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय तिलहन एवं ताड़ी मिशन (एनएमओओपी) आदि के तहत प्रमाणित बीज किस्मों की आपूर्ति करती है। कंपनी ने उन्नत फसल किस्मों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआईएसएटी) के साथ भी कोलाबोरेशन किया है।

8.20 जन स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत, एचआईएल डीडीटी का एकमात्र वैश्विक निर्माता है, जो मुख्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के नेतृत्व वाले मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों के तहत अफ्रीकी देशों को आपूर्ति करता है। सतत आर्गेनिक प्रदूषकों (पीओपी) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत डीडीटी पर निर्भरता कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में, एचआईएल ने यूएनआईडीओ के वित्तीय सहयोग से दो प्रमुख परियोजनाएं शुरू की हैं:

- i. डीडीटी के नॉन-पीओपी विकल्पों का विकास एवं प्रचार
- ii. फार्म परियोजना।

डीडीटी के नॉन-पीओपी विकल्पों का विकास एवं प्रचार:

एचआईएल ने वर्ष 2020 में महाराष्ट्र के रासयानी स्थित अपने संयंत्र में मजबूत कीटनाशक जाल (एलएलआईएन) विकसित किया है और इसका व्यावसायीकरण किया है जिसकी आरंभिक क्षमता 10 मिलियन नेट्स प्रति की है। एलएलआईएन उत्पाद को स्थानीय स्तर पर प्राप्त कच्चे माल से सिपेट के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। "हिलनेट" ब्रांड के तहत विपणन किए जाने वाले एलएलआईएन भारत की आयात निर्भरता को कम करते हैं और सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य स्वास्थ्य विभागों, रक्षा बलों, सीएपीएफ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और गैर सरकारी संगठनों को नियमित रूप से आपूर्ति की जाती है। एचआईएल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बीटीआई आधारित जैव-लार्वानाशक के उत्पादन संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया में भी है। बीटीआई संयंत्र जुलाई 2026 तक चालू हो जाएंगे। यह परियोजना सतत वेक्टर नियंत्रण उपायों में भारत के नेतृत्व को मजबूत करती है और वैश्विक मलेरिया उन्मूलन रणनीतियों के अनुरूप है।

फार्म परियोजना:

वित्तीय कृषि रसायन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन (फार्म) परियोजना के तहत, एचआईएल जैव-कीटनाशकों के निर्माण के लिए इकाइयाँ स्थापित करेगी, जिनमें बैसिलस थुरिंगिएन्सिस वर. कुर्स्ताकी (बीटीके), ट्राइकोडर्मा और नीम आधारित फार्मूलेशन शामिल हैं। फार्म परियोजना भारत सरकार के जैविक खेती और एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) प्रथाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों के अनुरूप है। इस परियोजना का उद्देश्य रासायनिक कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों से मनुष्यों और पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और भारत में हरित कृषि इनपुट को अपनाने को प्रोत्साहित करना है।

8.21 इकाइयों का बंद होना

सरकार ने अनुमोदित वैकल्पिक तंत्र (एएम) के माध्यम से कंपनी के लिए पुनर्गठन योजना को अनुमोदन प्रदान

किया है, जिसमें कंपनी ने केरल के उद्योगमंडल और पंजाब के बठिंडा स्थित एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड की इकाइयों के बंद किया जाना शामिल है। एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा चलाई जा रही क्लोजर प्रक्रिया लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है। एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड की उद्योगमंडल और पंजाब इकाई के 10.10.2023 को बंद कर दिया गया है। पात्र कर्मचारियों के लिए वीआरएस/वीएसएस का कार्य 31.03.2024 को पूरा कर लिया गया है। संयंत्र और मशीनरी की शिपिंग एवं स्कैप की बिक्री की जा रही है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति –

एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड की पिछले 5 वर्षों की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व	पीबीआईडीटी	पीबीटी	निवल लाभ	निवल मूल्य
2020-21	387.90	29.17	1.15	1.15	105.58
2021-22	359.56	34.08	2.21	2.21	107.80
2022-23	201.56	(37.31)*	(68.70)*	(68.70)*	39.09
2023-24	199.88	23.52	4.50	4.50	43.60
2024-25	481.25	28.08	(16.17)*	(16.17)*	27.42

*निगेटिव प्रविष्टि दर्शाते हैं।

अध्याय -9

स्वायत्त संस्थाएँ

केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट)

9.1 सिपेट, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अंतर्गत एक केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थान है। यह संस्थान देश में पेट्रोरसायन और संबद्ध उद्योगों के विकास के लिए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता, शैक्षणिक एवं अनुसंधान (एसटीएआर) गतिविधियों के लिए समर्पित है। सिपेट के देशभर में 48 केंद्र हैं, जिनमें 9 पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीटी), 32 कौशल एवं तकनीकी सहायता केंद्र (सीएसटीएस), 3 स्कूल फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन पेट्रोकेमिकल्स (एसएआरपी) और 4 उप-केंद्र शामिल हैं। बेंगलुरु (ई-अपशिष्ट सहित), भागलपुर और वाराणसी में तीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र स्थापित किए गए हैं और चौथा केंद्र इसी वित्तीय वर्ष में साणंद में स्थापित किया जाएगा।

9.2 शैक्षणिक और कौशल विकास कार्यक्रम

क. शैक्षणिक कार्यक्रम

सिपेट, विभिन्न दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (जैसे डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट) संचालित करता है, जिसमें प्रवेश के लिए योग्यता के भिन्न-भिन्न स्तर हैं तथा साथ ही सिपेट, मेटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, पॉलिमर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, भौतिकी और रसायन विज्ञान; पॉलिमर नैनो प्रौद्योगिकी; बायो पॉलिमर विज्ञान; एप्लाइड पॉलिमर साइंस आदि में पीएचडी कार्यक्रम भी संचालित करता है। सिपेट:आईपीटी में संबंधित राज्य तकनीकी विश्वविद्यालयों के साथ संबद्धता में अंडर ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। यूजी/पीजी/पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश संबंधित राज्य के संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम सिपेट: सीएसटीएस केंद्रों पर संचालित किए जाते हैं और इन कार्यक्रमों में छात्रों का प्रवेश अखिल भारतीय स्तर की सिपेट प्रवेश परीक्षा (कैट) के माध्यम से होता है। कैट 2025 का आयोजन 8 जून, 2025 को पूरे देश में किया गया था, जिसमें 5163 छात्र शामिल हुए थे। 31 अक्टूबर, 2025 तक शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए डिप्लोमा स्तर और यूजी एवं स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों में कुल 5225 छात्रों का प्रवेश हुआ है, जिसमें सीएसटीएस – भुवनेश्वर में आईटीआई कार्यक्रम और लेटरल एंट्री प्रवेश भी शामिल हैं।

वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में, आईपीटी: सीएसटीएस, अयोध्या में प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीपीटी) कार्यक्रम शुरू हुआ।

ख. कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा कौशल विकास पर तैयार की गई राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य बेहतर कौशल, ज्ञान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यताओं से सक्षम कार्यबल तैयार करना है ताकि मर्यादित रोजगार सुलभ हो सके और

वैश्विक श्रम बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके। तदनुसार, सिपेट, पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एनएसक्यूएफ-संरक्षित और राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) द्वारा अनुमोदित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी) आयोजित करता है। सिपेट, द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रेणी में रोजगार से जुड़े कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम; अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग कार्यक्रम; अल्पकालिक उद्योग विशिष्ट कार्यक्रम; उद्योगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम; और विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए इन-प्लान्ट प्रशिक्षण/इंटरनशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

इन अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों (एसडीटीपी)/कौशल उन्नयन कार्यक्रमों (एसयूपी) का उद्देश्य पेट्रोरसायन और प्लास्टिक/पॉलिमर्स के संगत क्षेत्रों में प्रतिभागियों के कौशल और क्षमता के स्तर को बढ़ाना है।

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से अधिकांश को विभिन्न मंत्रालयों/राज्य/केंद्र सरकार के विभागों/एजेंसियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक और संबद्ध उद्योगों में लाभकारी रोजगार के माध्यम से वंचित/बेरोजगार युवाओं का उत्थान करना है। वर्ष 2025-26 (अक्टूबर 2025 तक) के दौरान, सिपेट ने विभिन्न अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 21,428 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है।

9.3 प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएं

सिपेट, मोल्ड और डाई के डिजाइन और निर्माण, टूलिंग, प्लास्टिक प्रसंस्करण और परीक्षण, निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएं (टीएसएस) प्रदान करता है। सिपेट केंद्रों में डिजाइन, सीएडी/सीएएम/सीई, टूलिंग और मोल्ड निर्माण, प्रसंस्करण, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्रों में अत्याधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं मौजूद हैं, जो पॉलिमर और संबद्ध उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

वर्ष 2025-26 (अक्टूबर 2025 तक) के दौरान, सिपेट ने पेट्रोरसायन/प्लास्टिक और संबद्ध उद्योगों के लिए प्लास्टिक प्रसंस्करण, डिजाइन और टूलिंग, परीक्षण, परामर्श और निरीक्षण संबंधी गतिविधियों के क्षेत्र में 52639 प्रौद्योगिकी सहायता सेवा (टीएसएस) कार्य संपन्न किए हैं। इनका क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	क्षेत्र	अक्टूबर 2025 तक की उपलब्धि
1.	प्रसंस्करण में जॉब ऑर्डर की संख्या	5720
2.	टूल रूम में जॉब/मोल्ड ऑर्डर की संख्या	1504
3.	परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन में असाइनमेंट की संख्या	33443
4.	परामर्शी असाइनमेंट/निरीक्षण, कैलीब्रेशन, अनुप्रयोग विकास की संख्या	11972
कुल भौतिक उपलब्धियाँ संख्या में)		52639
5.	उद्योग संपर्क बैठक	43

9.4 अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ:

सिपेट के पास स्कूल फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन पेट्रोकेमिकल्स (एसएआरपी में एक सुव्यवस्थित आरएंडडी विंग है, अर्थात्, (i) प्रौद्योगिकी और उत्पाद सिमुलेशन के लिए उन्नत अनुसंधान स्कूल (एआरएसटीपीएस), चेन्नई; (ii) पॉलिमरिक सामग्री में उन्नत अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला (एलएआरपीएम), भुवनेश्वर; और (iii) उन्नत पॉलिमर डिजाइन और विकास अनुसंधान प्रयोगशाला (एपीडीडीआरएल), बेंगलुरु। सिपेट द्वारा 2025–26 (अक्टूबर 2025 तक) के दौरान किए गए अनुसंधान कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ	कुल उपलब्धि
1..	प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोध प्रकाशन (क्यू1और क्यू2)	18
2.	अनुसंधान एवं विकास के लिए उद्योग क्षेत्रों हेतु कार्यशालाएं	7
3.	प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या	2
4.	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों के माध्यम से पुस्तक/अध्याय	14
5.	रिसर्च स्कालर की संख्या (पीएचडी पंजीकरण)	1
कुल		42

इस वर्ष (अक्टूबर 2025 तक) स्वीकृत प्रमुख अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	प्रायोजक एजेंसी	परियोजना राशि (लाख रुरुपये में)
1.	थिन फिल्म लैमिनेट का विकास	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल),	35.44
2.	सीपीपी फिल्म में रीसाइकल्ड पीपी सामग्री के निर्धारण पर एक अध्ययन	यूपलेक्स लिमिटेड, नोएडा	11.35

9.5 वित्तीय कार्य निष्पादन:

वित्तीय वर्ष 2025–26 (अक्टूबर 2025 तक) के दौरान, सिपेट ने अनुमानित 121.58 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। सिपेट ने अपनी सिविल और तकनीकी अवसंरचना सुविधाओं का उन्नयन किया है, जिसके परिणामस्वरूप कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता, शैक्षणिक गतिविधियों और अनुसंधान एवं विकास सहित पेट्रोसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि हुई है।

9.6 माइलस्टोन/उपलब्धियाँ

“सेंसर ऑपरेटेड प्लास्टिक बायोमेडिकल वेस्ट बिन” नामक पेटेंट (पेटेंट संख्या: 568752, जारी करने की तिथि: 16.07.2025) पेटेंट डीएसटी प्रायोजित परियोजना “बायोमेडिकल अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक का डिजाइन और विकास” पर आधारित आविष्कार के लिए है। यह पेटेंट सिपेट और श्री रामचंद्र अस्पताल, चेन्नई को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इससे सुइयों को नष्ट करने, सिरिंज से सुई निकालने और नष्ट की गई सुइयों को स्रोत पर ही कीटाणुरहित करने में सहायता मिलेगी।

9.7 समझौता ज्ञापन/अनुबंधों पर हस्ताक्षर

- पेट्रोरसायन और संबद्ध क्षेत्रों में अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने के लिए संकाय/ छात्र विनिमय कार्यक्रमों, संयुक्त रूप से सम्मेलनों और सेमिनारों के आयोजन, सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों आदि के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पुडुचेरी (एनआईटीपीवाई), कराईकल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के साथ सीएसआर योजना के तहत सीआईएल की सहायक कंपनियों के माध्यम से सिपेट केंद्रों के 3500 प्रशिक्षुओं के लाभ के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

9.8 कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)

• परिचय

कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अधीन स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। आईपीएफटी उपयोगकर्ता और पर्यावरण के अनुकूल नई पीढ़ी की कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए समर्पित है।

• आईपीएफटी के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- उपयोगकर्ता और पर्यावरण के अनुकूल नई पीढ़ी की कीटनाशक सूत्रीकरण तकनीक का विकास और उत्पादन।
- नई दवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल अनुप्रयोग प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
- सुरक्षित विनिर्माण प्रक्रियाओं, गुणवत्ता आश्वासन, कच्चे माल के विनिर्देशों और स्रोतों के बारे में जानकारी का प्रसार।
- विश्लेषणात्मक और परामर्शी सेवाएं।
- कृषि रसायन क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों की योग्यता और उपयोगिता में सुधार को बढ़ावा देना।
- कृषि रसायन अनुसंधान एवं विकास में कार्यरत कीटनाशक कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसंधान में सतत शिक्षा।

9.9 संस्थान में तीन विभाग अर्थात् सूत्रीकरण, जीव विज्ञान और विश्लेषणात्मक हैं:

9.10 सूत्रीकरण प्रभाग:

इस प्रभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि और घरेलू कीट प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता और पर्यावरण के अनुकूल नई पीढ़ी के कीटनाशक सूत्रीकरण विकसित करना है। अब तक 64 से अधिक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकियां विकसित की जा चुकी हैं और व्यावसायीकरण के लिए विभिन्न कीटनाशक उद्योगों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं। यह प्रभाग प्रशिक्षण और सेमिनारों के माध्यम से कीटनाशक उद्योग कर्मियों के ज्ञान को बढ़ाकर उन्हें सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशक सूत्रीकरण तैयार करने में सहायता करता है। यह प्रभाग, भारत और विदेशों में उद्योगों को कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी विकास पर परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। संस्थान में पायलट प्लांट सुविधाएं भी उपलब्ध हैं जो प्रयोगशाला स्तर के अनुसंधान को इष्टतम बजट के साथ वाणिज्यिक उत्पादन तक बढ़ा सकती हैं। आईपीएफटी की पायलट प्लांट सुविधा में प्रति शिफ्ट 100 किलोग्राम तक सूत्रीकरण उत्पादन करने की क्षमता है।

9.11 जीव विज्ञान प्रभाग:

इस प्रभाग का मुख्य उद्देश्य सुसज्जित जैव-परीक्षण प्रयोगशाला, ग्रीनहाउस/ग्लास हाउस और प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों के माध्यम से संस्थान द्वारा विकसित विभिन्न कीटनाशक सूत्रीकरण की व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना है। यह प्रभाग जैव-प्रभावकारिता, फाइटोटॉक्सिसिटी, अनुकूलता, कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं पर कीटनाशकों के प्रभाव और कीटनाशकों के अवशिष्ट पहलुओं पर डेटा तैयार करने के लिए केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड/पंजीकरण समिति (सीआईबी एंड आरसी) द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रभाग विभिन्न कृषि फसलों में ड्रोन स्प्रे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न सूत्रीकरण के क्षेत्र परीक्षण भी कर रहा है।

9.12 विश्लेषणात्मक प्रभाग

विश्लेषणात्मक प्रभाग, संस्थान की सभी गतिविधियों से संबद्ध एक प्रमुख प्रभाग है। यह प्रभाग कीटनाशकों (तकनीकी और फॉर्मूलेशन), विभिन्न खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों और रासायनिक युद्ध एजेंटों तथा उनके प्रीकर्सर्स और अपघटन उत्पादों के रसायन परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त है। गुणवत्ता आश्वासन, स्थायित्व और विभिन्न पदार्थों में अवशेष विश्लेषण जैसी विभिन्न विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त, यह विभिन्न एजेंसियों और कीटनाशक उद्योग से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं भी संचालित करता है। विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला को निम्नलिखित द्वारा मान्यता प्राप्त/प्रमाणित किया गया है—

- आईएस विनिर्देशों के अनुसार कीटनाशक सूत्रीकरण के परीक्षण के लिए बीआईएस द्वारा
- कृषि रसायनों के 5 बैच विश्लेषण और अवशेष अध्ययन के लिए जीएलपी सुविधा के रूप में राष्ट्रीय जीएलपी अनुपालन निगरानी प्राधिकरण (एनजीसीएमए) द्वारा
- आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार विभिन्न खाद्य पदार्थों, 150 कीटनाशक सूत्रीकरण और सीडब्ल्यूसी से संबंधित रसायनों में 278 कीटनाशकों और 17 भारी धातुओं के परीक्षण के लिए परीक्षण किया एनएबीएल द्वारा

आईपीएफटी को केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबी और आरसी) द्वारा कीटनाशक पंजीकरण संबंधी डेटा तैयार करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। यह प्रभाग कृषि रसायन और अन्य उद्योगों के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता सेवाएं, गुणवत्ता नियंत्रण और नियामक डेटा तैयार करने का काम भी करता है और सीडब्ल्यूसी से संबंधित रसायनों के लिए ओपीसीडब्ल्यू दक्षता परीक्षण में भी भाग लेता है।



9.13 प्रमुख उपलब्धियां:

I. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:

- क. कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट 23.99% एससी फॉर्मूलेशन विकसित किया गया और इसे मुंबई स्थित श्याम केमिकल लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया। विकसित सूत्रीकरण एक स्थिर, जल-आधारित प्रणाली है जिसमें बिल्ट-इन एडज्युवेंट होता है जो बेहतर जैव-प्रभावकारिता प्रदान करता है। यह पारंपरिक वेटेबल पाउडर फॉर्मूलेशन का एक सुरक्षित विकल्प भी प्रदान करता है।
- ख. बेंज़ॉयल सल्फोनामाइड कंपाउंड सस्पेंशन इंसेक्टिसाइड कन्संट्रेट (एससी) फॉर्मूलेशन विकसित किया गया। यह माइक्रोनाइज्ड जल-आधारित फॉर्मूलेशन प्रभावी कीटनाशक अनुप्रयोग के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें बेहतर स्थिरता और पानी पर तेजी से फैलाव होता है, ताकि छिड़काव किया जा सके। राष्ट्रीय विशिष्टताओं के अनुरूप फॉर्मूलेशन को अनुकूलित करने के लिए भौतिक-रासायनिक मापदंडों का अध्ययन किया गया। यह तकनीक सीएसआईआर-आईआईसीटी, हैदराबाद को हस्तांतरित कर दी गई है।

II. दीर्घकालिक परियोजनाएँ

i. **आईसीएआर – राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष (2024–2027) परियोजना:** इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख शोध कार्य किए जा रहे हैं:

क. **माइक्रोबियल और वानस्पतिक कीटनाशकों का विकास**

माइक्रोबियल और वानस्पतिक कीटनाशक सूत्रीकरण के विकास, मानकीकरण और अनुकूलन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कृषि कीटों, भंडारित अनाज के कीड़ों, नेमाटोड, टिक परजीवियों और कवक रोगजनकों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित सूत्रीकरण को कुशल वितरण प्रणालियों के रूप में विकसित किया गया है:

- नेमाटोड नियंत्रण के लिए मृदा अनुप्रयोग हेतु वनस्पति आधारित लेमनग्रास, सिट्रोनेला और पामारोसा के स्लो-रिलीज़ ग्रैनुल।
- नेमाटोड को नियंत्रित करने के लिए लेमनग्रास और सिट्रोनेला के माइक्रोइमल्शन फॉर्मूलेशन।
- फंगल पैथोजेन प्रबंधन के लिए ट्राइकोडर्मा एस्पेरिलम वेटेबल पाउडर और सस्पेंशन सांद्रण (कन्संट्रेट)
- पशु चिकित्सा क्षेत्र में टिक नियंत्रण के लिए एम. धतूरा अर्क और तुलसी तेल आधारित सूत्रीकरण।
- भंडारित अनाज के कीटों के लिए वनस्पति आधारित कैलमस तेल से युक्त टेबलेट।

ख. **भारतीय सरसों में बायोटिक स्ट्रेस का प्रबंधन**

सरसों की फसल में ओरोबैंचे परजीवी खरपतवारों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित सिंथेटिक और बायो बोटानिकल फार्मूलेशन विकसित किए जा रहे हैं:

- ओरोबैंचे परजीवी खरपतवार के प्रबंधन के लिए मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल एससी
- मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल + पेंडिमेथालिन जेडसी ओरोबैंचे परजीवी खरपतवार प्रबंधन
- चेनोपोडियम एल्बम और एवेनाफैतुआ जैसे खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए नीम का सांद्रित इमल्शन।

ग. **लिग्नोसेल्युलसिक अपशिष्टों के सतत प्रबंधन और क्लोरपाइरिफोस (डीटी50) संदूषित स्थलों के जैव उपचार हेतु कृषि मृदा माइक्रोब्स का विश्लेषण करना।**

खेतों में फसलों के अवशेषों को जलाने की समस्या से निपटने के लिए, माइक्रोबियल कंसोर्टिया के रेडी-टू-यूज़ तथा स्थिर रूप से तैयार किए गए ऐसे उत्पाद विकसित किए जा रहे हैं जो सेल्युलोज के अपघटन और कीटनाशकों से दूषित मिट्टी के पुनर्स्थापन में सक्षम हैं। वर्तमान में, विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त मिट्टी के नमूनों में कीटनाशक अवशेषों का निर्धारण करने के लिए एलसी-एमएस/एमएस और जीसी- एमएस/एमएस विधियों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि माइक्रोबियल कंसोर्टिया के विकास में उपयोग की जाने वाली मिट्टी का चयन और चयन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, माइक्रोबियल कंसोर्टिया से उपचारित नमूनों में क्लोरपाइरिफोस और इसके ज्ञात मेटाबोलाइट्स के अपघटन पैटर्न का मूल्यांकन करने के जीसी- एमएस/एमएस विधि का उपयोग करके प्रयोग किए जा रहे हैं।

ii. राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी:

यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा प्रायोजित एक चल रही परियोजना है। परियोजना के उद्देश्य के अनुसार, अनाज, दालें, सब्जियां, फल और दूध सहित कुल 87 नमूने हर महीने दो स्थानों (रोहतक और गुरुग्राम) से एकत्र किए जाते हैं। इन नमूनों में कीटनाशक अवशेषों के संदूषण की जांच की जाती है और रिपोर्ट मासिक आधार पर परियोजना समन्वय केंद्र को प्रस्तुत की जाती है।

iii. आईपीएफटी में बायो-फाउंड्री सुविधा की स्थापना:

यह परियोजना जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोई3 नीति के तहत प्रायोजित की गई है, जिसका उद्देश्य जैव उत्पादन संयंत्रों का नेटवर्क स्थापित करना है। यह परियोजना 2025 से 2027 तक दो वर्ष की अवधि के लिए है। इस परियोजना के तहत आईपीएफटी की जैव कीटनाशक और उनके सूत्रीकरण संबंधी विकास क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा और एक जैव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

iv. विश्लेषणात्मक कौशल विकास पाठ्यक्रम (एसडीसी):

आईपीएफटी ने नीदरलैंड्स स्थित ओपीसीडब्ल्यू के लिए विश्लेषणात्मक कौशल विकास पाठ्यक्रम का संचालन शुरू किया है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को जीसी और जीसी-एमएस तकनीकों में कौशल प्रदान करना है, जिसमें रासायनिक हथियार अभिसमय (सीडब्ल्यूसी) से संबंधित रसायनों के विश्लेषण के लिए नमूना तैयार करना भी शामिल है। इसका उद्देश्य रासायनिक विश्लेषण में वैश्विक विशेषज्ञता को मजबूत करना, संस्थागत क्षमता को बढ़ाना और रासायनिक हथियार अभिसमय (सीडब्ल्यूसी) के अनुसार रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना भी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए पहला पाठ्यक्रम सितंबर 2025 में आयोजित किया गया था।

III. उद्योग को तकनीकी सेवाएं:

जीएलपी अध्ययनों के अंतर्गत, आंतरिक अध्ययनों के अलावा, उद्योगों के लिए 3 अवशिष्ट अध्ययन परियोजनाएं और 1 पांच बैच विश्लेषण परियोजना पूरी की गई। ये अध्ययन सीआईबी एंड आरसी के प्रोटोकॉल और ओईसीडी जीएलपी आवश्यकताओं के अनुसार किए गए। इन अध्ययनों का विवरण इस प्रकार है:

- क. फेनथोएट टेक्निकल एचपीएलसी द्वारा सक्रिय संघटक सामग्री के निर्धारण के लिए विश्लेषणात्मक विधि का सत्यापन (प्रायोजित);
- ख. फेनथोएट तकनीकी एचपीएलसी, हॉट एयर ओवन आदि की त्वरित भंडारण स्थिरता (प्रायोजित)
- ग. फेनथोएट तकनीकी एचपीएलसी, स्थिरता कक्ष आदि की कंटेनर सामग्री अनुकूलता का निर्धारण (प्रायोजित);
- घ. एजिलेंट जीसी-एमएस सिस्टम के साथ फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर (एफआईडी) का सत्यापन, जीसी-एमएस क्लोरोपाइरिफोस (इन-हाउस)
- ङ. एजिलेंट एलसी-एमएस/एमएस विश्लेषणात्मक उपकरण का सत्यापन (इन-हाउस) एलसी-एमएस/एमएस कैफीन और एजोक्सिट्रोबिन

च. एमेट्रिन टेक्निकल मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस (इन-हाउस) द्वारा गलनांक का निर्धारण

आईपीएफटी ने उद्योग द्वारा प्रायोजित तीन सक्रिय अवयवों के लिए सरपेंशन कॉन्सेंट्रेट्स (एससी) का प्रयोगशाला स्तर पर प्रसंस्करण भी किया। इस कार्य में माइक्रोनइंजेक्शन और सरपेंशन स्थिरता के लिए सांद्रित और तनु रूपों के फॉर्मूलेशन का प्रसंस्करण शामिल था। आईपीएफटी प्रायोगिक अनुसंधान फार्म में उद्योग के लिए 17 जैव-प्रभावकारिता अध्ययन भी किए गए। इनमें से कुछ परीक्षण अभी जारी हैं, जबकि अन्य की रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और प्रायोजक कंपनियों को प्रस्तुत कर दी गई है।

9.14 अनुसंधान एवं विकास:

अनुसंधान एवं विकास से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियाँ भी संपन्न की गईं:

- फंगल पैथोजेन्स से फलों की रक्षा के लिए विकसित ग्रीन प्रिज़र्वेटिव्स के रूप में सिट्रोनेला तेल इमल्शन युक्त एल्लिजनेट-सीएमसी बायोएक्टिव फिल्म।
- प्रयोगशाला परिस्थितियों में बैंगन के पत्तों को डुबोकर किए गए जैव परीक्षण विधि द्वारा देहरादून स्थित आईआईपी द्वारा कृषि अपशिष्ट बायोमास आधारित उत्पाद फॉर्मूलेशन की जैव-प्रभावकारिता का मूल्यांकन लीफ हॉपर अमरास्का बिगुट्टुला बिगुट्टुला के विरुद्ध किया गया।
- सैपोनिन को बायोसरफैक्टेंट के रूप में उपयोग करके आवश्यक तेल-आधारित उत्पाद विकसित किए गए, जो सिंथेटिक सरफैक्टेंट का प्रभावी प्रतिस्थापन हैं। इन फॉर्मूलेशन ने एकसमान बूंद आकार, अच्छे फैलाव और जैव-प्रभावकारिता के साथ स्थिर ऑयल-इन-वाटर इमल्शन प्रदर्शित किए।
- शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से विभिन्न प्राकृतिक अर्क और तेलों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित जैव-वनस्पति कीटनाशक माइक्रोइमल्शन फॉर्मूलेशन विकसित किए गए
 - नेरफम ओलियंडिसमाइक्रोइमल्शन
 - अखरोट के पत्तेमाइक्रोइमल्शन
 - नशाबीज मेथनॉल अर्क माइक्रोइमल्शन
 - नागदौनमाइक्रोइमल्शन का अक
- ब्लैक क्युमिन ऑयल और नीम ऑयल को मिलाकर एक समन्वित मिश्रण विकसित किया गया, और इसकी स्थिरता, बूंदों के आकार का एकसमान वितरण और लक्षित जैविक प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए इसे अनुकूलित किया गया। अनुकूलित मिश्रण ने भंडारित अनाज के कई कीटों के खिलाफ महत्वपूर्ण रोगाणुरोधी और कीटनाशक गतिविधि दिखाई है, जिससे कीट प्रबंधन के लिए एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल समाधान मिलता है और साथ ही कृत्रिम रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम होती है।
- वानस्पतिक कार्यकलापों के संधारण के लिए क्ले बेस्ड पिकरिंग इमल्शन विकसित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप फॉर्मूलेशन की स्थिरता में सुधार, नियंत्रित रिलीज और सक्रिय अवयवों की जैव उपलब्धता में वृद्धि हुई, जिससे पेस्ट कंट्रोल की प्रभावकारिता लंबे समय तक बनी रही।
- इमेमेक्टिन बेंजोएट के एनकैप्सुलेशन और सस्टेंड रिलीज के लिए प्रोटीन-सर्फैक्टेंट-आधारित नैनोकॉम्प्लेक्स का विकास एक शोध कार्य प्रगति पर है, जिसके परिणामस्वरूप सक्रिय घटक की बेहतर

स्थिरता, कम गिरावट और बेहतर प्रदर्शन प्राप्त होता है।

- ए 234 (नोविचोक) के अपघटन उत्पादों का सूक्ष्म-स्तरीय संश्लेषण, एनएमआर/एलसी-एचआरएमएस लक्षण वर्णन और दोहरे-प्लेटफॉर्म सीजी-एमएस/एमएस और एलसी-एमएस/एमएस विश्लेषण।
- भारत के कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में मिट्टी, जल और चावल के नमूनों में भारी धातुओं का जोखिम मूल्यांकन और अनुमान तथा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनका प्रभाव।
- पानी में डेल्टामेथ्रिन कीटनाशक के अपघटन की गतिशीलता पर पीएच का प्रभाव।
- ट्रिपल क्वाड्रुपोल मास एनालाइजर से सुसज्जित हेडस्पेस गैस क्रोमेटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करके तिल के बीजों (तिल), गेहूं के अनाज, मसालों (मिर्च के फ्लेक्स) और कॉफी में एथिलीन ऑक्साइड और इसके मार्कर अवशेष 2-क्लोरोएथेनॉल का निर्धारण।
- संशोधित क्वेचर्स विधि और गैस क्रोमेटोग्राफी टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री (जीसी-एमएस/एमएस) विश्लेषण का उपयोग करके अनाजों में कीटनाशकों और उनके विषैले रूप से प्रासंगिक मेटाबोलाइट्स का आकलन और जोखिम मूल्यांकन।

9.15 प्रकाशन:

इस अवधि के दौरान निम्नलिखित शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं:

- क. आलम, जी., आमिर, एम., इकबाल, एन., आलम, एमआई, हैदर, एमए, और अली, एसडब्ल्यू (2025)। बायोडेरिड कौमैलिक एसिड का उपयोग करके परत-दर-परत स्व-संयोजन तकनीक के माध्यम से कपड़े के कंफर्ट प्रॉपर्टीज से समझौता किए बिना टिकाऊ बहुक्रियाशील सूती कपड़े का विकास। एसीएस सस्टेनेबल केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग, 13(18), 6577-6588।
- ख. नरवाला, एस., सिंघल, एस., योहन, टी., यादव, एस., और आलम, एस. (2025)। दानेदार और निलंबन सांद्र फॉर्मूलेशन में ग्रेन्युल एवं डेल्टामेथ्रिन की मात्रा निर्धारण के लिए यूएफएलसी विधि का एकल प्रयोगशाला सत्यापन। कीटनाशक अनुसंधान जर्नल, 37(1), 26-29।
- ग. प्राची टुकराल, एमवी जगदीश, प्रियंका यादव¹, साल्वीजतन, मयूख चैन, मुकेश के. सिंह, शुभम यादव², सल्फर मस्टर्ड के रासायनिक फुटप्रिंट: मिथाइलेटेड डिग्रेडेशन उत्पादों की जीसी-एमएस प्रोफाइलिंग (स्वीकृत)।

पुस्तक अध्याय:

इकबाल, नुसरत, श्रेष्ठा दुबे, सौरभ दुबे और प्रतिभा श्रीवास्तव। 2025. "नैनो कृषि इनपुट उत्पादों के लक्षण वर्णन के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन उपकरणों में हालिया प्रगति।" कृषि विज्ञान के लिए नैनोबायोटेक्नोलॉजी, प्रथम संस्करण, 27. एप्पल एकेडमिक प्रेस। <https://doi.org/10.1201/9781003620273> (टेलर और फ्रांसिस समूह)।

9.16 अन्य गतिविधियाँ:

कीटनाशक सूत्रीकरण और अनुसंधान एवं विकास के नमूने नियमित रूप से विभिन्न उद्योगों से विश्लेषण और विश्लेषण प्रमाणपत्र (सीओए) जारी करने के लिए प्राप्त होते हैं। शोध छात्रों सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से भी नमूने प्राप्त हुए हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान 880 नमूनों का विश्लेषण किया गया है। आईपीएफटी ने 57वें

ओपीसीडब्ल्यू पर्यावरण प्रवीणता परीक्षण (पीटी) में भाग लिया और 7 में से 5 स्पाइकड रसायनों की पहचान करते हुए सी ग्रेड प्राप्त किया। आईपीएफटी ने एनएबीएल प्रत्यायन, ओईसीडी जीएलपी प्रमाणन और सीआईबी एंड आरसी मान्यता को बनाए रखा है। आईपीएफटी प्रयोगशालाओं के लिए जीएलपी हेतु एनएबीएल का डेस्कटॉप मूल्यांकन और एनजीसीएमए का निरीक्षण किया गया और संस्थान को प्रत्यायन जारी रखने के लिए सफलतापूर्वक अनुशंसित किया गया है। आईपीएफटी के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित सम्मेलनों में भाग लिया:

- II. एनएफएसयू, गांधीनगर द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- II. रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी "सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए पादप-सूक्ष्मजीव अंतःक्रिया" विषय पर सम्मेलन का आयोजन द्वारा 3-4 जनवरी, 2025 को किया गया।

9.17 मानव संसाधन विकास :

i. उद्योग कर्मियों और छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम:

उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए, आईपीएफटी उद्योग के अधिकारियों के कौशल और दक्षता में सुधार हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। आईपीएफटी छात्रों के लिए भी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और युवाओं के कौशल विकास के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 13 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है।

ii. जागरूकता एवं विस्तार गतिविधियाँ:

इस अवधि के दौरान निम्नलिखित जागरूकता गतिविधियाँ की गईं:

- **13 मई, 2025:** आईएआरआई, नई दिल्ली के छात्रों के लिए प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों को प्रदर्शित करने हेतु फील्ड ट्रायल।
- **21 जून, 2025** डीसीपीसी अधिकारियों के लिए फील्ड विजिट और झोन प्रदर्शन।
- **15 जुलाई, 2025** स्कूली बच्चों के लिए कार्यशाला "बीएसआरआई-आईपीएफटी जागरूकता कार्यक्रम", प्रयोगशाला का दौरा और झोन प्रदर्शन।

iii. वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण में भाग लिया जाना

डॉ. सुदीप मिश्रा और सुश्री नुसरत इकबाल ने 9-10 जून, 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट (आईएसटीएम), नई दिल्ली में "जीएस-16 और 17 का विलय, लैंगिक संवेदनशीलता" विषय पर प्रशिक्षण में भाग लिया।

अध्याय - 10

सामान्य प्रशासन

विभाग की संगठनात्मक संरचना

- 10.1** विभाग की मुख्य गतिविधियाँ नीति निर्माण, क्षेत्रीय योजना, रसायन और पेट्रोरसायन उद्योगों का संवर्धन और विकास हैं। विभिन्न रसायन और पेट्रोरसायनों के निर्माण में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ-साथ इन क्षेत्रों में कार्यरत स्वायत्त निकायों का प्रशासनिक और प्रबंधकीय निरीक्षण विभाग के अन्य प्रमुख कार्यों में से एक है।
- 10.2** इस विभाग का नेतृत्व भारत सरकार के सचिव करते हैं, जिनकी सहायता के लिए एक संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, तीन संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार, एक उप महानिदेशक और एक मुख्य लेखा नियंत्रक हैं (संगठनात्मक चार्ट अनुलग्नक VIII में दिया गया है)।

विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का रोजगार

- 10.3** विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के रोजगार की स्थिति 31.10.2025 के अनुसार इस प्रकार है:

समूह	पदों के कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस	शारीरिक रूप से विकलांग
क	35	2	2	4	0	0
ख	63	8	5	13	1*	0
ग	68	4	2	14	1*	4
कुल	166	14	9	31	02	04

* भर्ती के समय

- 10.4** रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, समूह 'क' में 6 तकनीकी पदों, स्टाफ कार चालक के 5 पदों, डिस्पैच राइडर के 1 पद और समूह 'ग' में मल्टी टार्किंग स्टाफ (एमटीएस) के 41 पदों के संबंध में कैडर नियंत्रण प्राधिकरण है। इस विभाग में एमटीएस समूह 'ग' का पद आरक्षण के लिए उपयुक्त पद और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा

34(1) के अंतर्गत आने वाली विकलांगता की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए चिन्हित किया गया है:

- क. बी, एलवी
- ख. डी, एचएच
- ग. ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई
- घ. एएसडी (एम, मॉड), आईडी, एसएलडी, एमआई
- ङ. उपरोक्त (क) से (घ) तक की बहु-विकलांगताएँ।

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	मौजूदा संख्या	रिक्त	रिक्ति होने की तिथि	वर्ष 2025-2026 के दौरान भरा गया	टिप्पणी
1.	मल्टी टास्किंग स्टाफ	41	21	20	31.05.2025	शून्य	विभाग ने दिनांक 29.11.2024 के पत्र के माध्यम से एसएससी को 10 रिक्तियों की जानकारी दी गई।

10.5 विभाग द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/शारीरिक रूप से विकलांग/ईडब्ल्यूएस और पूर्व सैनिक के लिए संपर्क अधिकारी का विवरण:

क्र.सं.	नाम	पद का नाम	सम्पर्क करने का विवरण
1.	श्री गणेश सिंह	उप सचिव	23070712 ganesh.singh30@gov.in

10.6 विभाग में एक आरक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है ताकि संपर्क अधिकारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्ति और पूर्व सैनिकों के लिए वैधानिक आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन और निगरानी से संबंधित अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।

क्र.सं.	आरक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी का नाम	पद का नाम	सम्पर्क करने का विवरण
1.	श्री सचिन कुमार पोरिया	अनुभाग अधिकारी	23387208 sachin.poria@gov.in

10.7 समूह 'क' में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी, केंद्रीय सचिवालय सेवा से संबंधित अधिकारी और विभाग के तकनीकी पदों पर कार्यरत अधिकारी शामिल हैं। समूह 'ख' और 'ग' के पदों

पर नियुक्तियाँ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राजभाषा विभाग और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए नामांकनों के आधार पर की जाती हैं।

रिकॉर्ड प्रबंधन

10.8 संसद ने केंद्र सरकार के सार्वजनिक अभिलेखों के प्रबंधन, प्रशासन और संरक्षण को विनियमित करने के लिए "सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993" अधिनियमित किया है। केंद्र सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम भी बनाए हैं। अधिनियम की धारा 6(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, सामान्य प्रशासन के प्रभारी अवर सचिव को विभाग में अभिलेख अधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है। विभाग का आधुनिक अभिलेख कक्ष उद्योग भवन में स्थित है।

दिव्यांगजनों के अधिकार

10.9 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का उद्देश्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना और किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना है। यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है कि दिव्यांगजनों को भौतिक वातावरण और अन्य सुविधाओं एवं सेवाओं तक सुगम पहुंच प्राप्त हो। विभाग का सूचना एवं सुविधा केंद्र विशेष रूप से शास्त्री भवन के भूतल पर स्थापित किया गया है, जिससे दिव्यांगजनों के लिए सुगम और बाधा रहित पहुंच सुनिश्चित हो सके। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध रहते हैं।

विभागीय डैशबोर्ड

10.10 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग का डैशबोर्ड विभाग और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) एवं स्वायत्त निकायों (एबी) के सभी अधिकारियों के लिए अलग-अलग यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ बनाया गया है। प्रत्येक अधिकारी को संबंधित संकेतकों के लिए अलग-अलग यूजर आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं, ताकि संबंधित विभाग/एबी/पीएसयू प्रत्येक संकेतक के लिए मासिक जानकारी अपडेट कर सकें। संबंधित विभागों द्वारा डेटा अपडेट करने में देरी से बचने के लिए, डैशबोर्ड को वेब सेवाओं की सहायता से पीएसयू और एबी की वेबसाइटों से तकनीकी रूप से जोड़ा गया है, ताकि मासिक अपडेट विभागीय डैशबोर्ड पर स्वचालित रूप से दिखाई दे।

कर्मयोगी भारत का क्रियान्वयन

10.11 कर्मयोगी भारत द्वारा रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक आईजीओटी अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल का प्रदर्शन करना और सत्र के कोर्स के माध्यम से विभाग के सीखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को इसमें शामिल होने में सहायता करना था। विभाग के एएसओ और उससे ऊपर के स्तर के, सभी नियमित कर्मचारी, नियमित रूप से पोर्टल का उपयोग करते हैं और पोर्टल पर उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

10.12 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 21 जून, 2025 को विभाग में "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग" विषय के साथ मनाया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी), गुरुग्राम के सहयोग से विभाग ने 21 जून, 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी), गुरुग्राम में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधे दिन का योग-सह-अध्ययन टूर आयोजित किया। 11वां आईडीवाई संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी घोषणा के बाद से आईडीवाई के 10 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

10.13 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में 1.9.2025 से 15.9.2025 तक मनाए गए 10वें स्वच्छता पखवाड़ा-2025 के दौरान।

विभिन्न स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ चलाई, कार्यालय परिसर/कारखाने/प्रयोगशालाएँ/शौचालयों/परिसरों की सफाई जैसी। स्वच्छता पर बैनर और पोस्टर लगाए गए। पखवाड़े के दौरान निबंध लेखन, कविता पाठ और चित्रकला प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली। अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई और उनमें से अनावश्यक फाइलों को छाँटा गया। इस अवधि के दौरान ई-फाइलों और ई-रसीदों की भी समीक्षा की गई।

स्वच्छता ही सेवा अभियान

10.14 स्वच्छ भारत दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 'स्वच्छोत्सव' थीम के साथ 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान चलाया गया और 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। यह अभियान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयू) के अंतर्गत एसबीएम – ग्रामीण और एसबीएम – शहरी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस अभियान के तीन मुख्य स्तंभ निम्नलिखित थे:

- स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (सीटीयू) का रूपांतरण, जिसमें कठिन और गंदे स्थानों की पहचान, मानचित्रण और समयबद्ध तरीके से सफाई की गई।
- सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता: प्रतिष्ठानों/संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों की सामान्य स्वच्छता
- सफाई मित्र सुरक्षा शिविर: निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए सिंगल विण्डो शिविर
- स्वच्छ हरित उत्सव: पर्यावरण के अनुकूल और अपशिष्ट मुक्त उत्सव।
- जागरूकता अभियान: स्वच्छ सुजल गाँव, वेस्ट टू आर्ट, स्वच्छ स्ट्रीट फूड, आरआरआर केंद्र, विभाग सचिवालय और विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले एबी/पीएसयू ने अभियान के दौरान स्वच्छता संबंधी विभिन्न गतिविधियाँ जैसे स्वच्छता अभियान, शून्य अपशिष्ट कार्यक्रम, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, सेल्फी पॉइंट की स्थापना आदि का आयोजन किया। चिन्हित स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (सीटीयू) के परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया गया – ये ऐसे क्षेत्र हैं जो आमतौर पर उपेक्षित कचरा स्थल होते हैं, जिन्हें नियमित सफाई कार्यों के अंतर्गत साफ करना कठिन होता है और पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जोखिम होते हैं। विभाग ने 25 सितंबर 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी), गुरुग्राम में अधिकारियों के लिए एक राष्ट्रव्यापी श्रमदान का भी आयोजन किया। एसएचएस 2025 के दौरान की गई सभी गतिविधियों की जानकारी विशेष रूप से तैयार किए गए आईटी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई।

विशेष अभियान 5.0

10.15 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग और उसके संगठनों ने स्वच्छता को मुख्यधारा में लाने और कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2.10.2025 से 31.10.2025 तक चलाए गए विशेष अभियान 5.0 में उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्वच्छता को मुख्यधारा में लाने की दिशा में विभाग ने सभी 964 भौतिक फाइलों और 795 रिटैन की गई फाइलों की समीक्षा का लक्ष्य रखा था। समीक्षा पूरी होने पर अभियान के दौरान कुल 169 फाइलें वीड आउट की गईं। विभाग ने ई-फाइलिंग प्रणाली अपनाने के बाद से विभाग में खोली गई सभी 1993 ई-इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की भी समीक्षा की और अभियान के दौरान 1275 ई-फाइलें बंद कीं। विभाग ने 1200 वर्ग फुट स्थान खाली करने और स्क्रेप के निपटान से 71250 रुपये (जीएसटी सहित) राजस्व अर्जित हुआ है।

स्वच्छता अभियान से ठोस परिणाम भी प्राप्त हुए, जैसे कि 8356 वर्ग फुट जगह खाली हुई और विभाग तथा उसके संगठनों द्वारा स्क्रेप के निपटान से 918150 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। अभियान के दौरान, विभाग के संगठनों जैसे कि सिपेट, आईपीएफटी, एचओसीएल और एचआईएल ने कार्यालय परिसर से बाहर भी स्वच्छता का संदेश फैलाने का कार्य किया। इसके लिए, पार्क, रेलवे और बस स्टेशन, ऐतिहासिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, बाजार आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर 165 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाए गए। जन शिकायतों के अलावा, विभाग ने अभियान के दौरान सभी लंबित मामलों का निपटारा किया।

हर घर तिरंगा अभियान

10.16 भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 9 से 15 अगस्त, 2025 तक 'हर घर तिरंगा' अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को अपने परिसरों में झंडे फहराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अधिकारियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी वेबसाइट www.harghartiranga.com और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कीं, जिससे यह अभियान बेहद सफल रहा।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

10.17 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने 27 अक्टूबर, 2025 से 2 नवंबर, 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया, जिसका विषय था। "सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी"। सप्ताह का शुभारंभ 27 अक्टूबर, 2025 को डीसीपीसी और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वायत्त संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ ग्रहण समारोह के साथ हुआ।

राष्ट्रीय एकता दिवस:

10.18 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) ने 31 अक्टूबर, 2025 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। इस अवसर पर सचिव और सभी अधिकारियों ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ ली। यह अवसर भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। एक अखंड राष्ट्र के प्रति उनकी दृष्टि वैश्विक सामाजिक सद्भाव संबंधी चुनौतियों के बीच भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप, यह दिवस भारत की विविधता में निहित शक्ति को सुदृढ़ करता है और राष्ट्रीय एकता को एक सतत जन आंदोलन में परिवर्तित करता है।

राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" की 150वीं वर्षगांठ का स्मरणोत्सव:

10.19 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने 7 नवंबर, 2025 को राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित उद्घाटन समारोह में वर्चुअल रूप से भाग लिया। समारोह का शुभारंभ वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से "वंदे मातरम" के गायन के साथ हुआ, जिसका उद्घाटन समारोह माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त संस्थानों ने भी इस अभियान में भाग लिया।

सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग

10.20 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के राजभाषा प्रभाग द्वारा कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए:

1. विभाग के सभी अनुभागों/प्रभागों से प्राप्त राजभाषा हिंदी से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं वार्षिक

- मूल्यांकन रिपोर्ट को समेकित करके राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भेजना सुनिश्चित किया गया।
2. वर्ष के दौरान, प्रत्येक तिमाही के अंत में उप महानिदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के सफलतापूर्वक आयोजन के साथ ही बैठक का कार्यवृत्त एवं सुझाव सभी अनुभागों/प्रभागों को भेजना एवं इस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना सुनिश्चित किया गया।
 3. देशभर में स्थित विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा की गई और उनमें पाई गई कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए।
 4. विभाग के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों से अनुवाद हेतु प्राप्त समस्त सामग्रियों जैसे वार्षिक प्रकाशन, वार्षिक रिपोर्ट, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, संसदीय प्रश्नोत्तर, अधिसूचना, विभिन्न प्रकार के एटीएन और एटीआर, बैकग्राउंड नोट, एलओपी, पोस्ट एविडेन्स नोट, अनुदान मांगों पर की गई कार्रवाई, कार्यालय ज्ञापन, विभिन्न प्रकार की पीपीटी, सचिव महोदया के संदेश, निदेशक के वार्ता बिन्दु, अधीनस्थ कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा रिपोर्ट, बीजीएलडी स्कीम 1985, बीजीएलडी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, प्रधानमंत्री के लिए वार्ता बिन्दुओं का मसौदा, मसौदा सीओएस नोट, मसौदा कार्यान्वयन रिपोर्ट, कार्य आवंटन, राजपत्र अधिसूचना, पीडब्ल्यूएमसी संबंधी बैकग्राउंड नोट, आईपीएफटी से संबंधित बैकग्राउंड नोट, पीसीपीआईआर से संबंधित बैकग्राउंड नोट, अ.शा.पत्र, एचओसीएल एवं एचआईएल से संबंधित रिब्यू नोट का नियत समय के भीतर अनुवाद कर प्रेषित किया गया।
 5. विभाग के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों में आवश्यकतानुसार 02 टेबल कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
 6. वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति के द्वारा देशभर में स्थित विभाग के 06 अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया। राजभाषा प्रभाग द्वारा इन बैठकों से संबंधित निरीक्षण प्रश्नावलियों की समीक्षा करने के साथ-साथ उन पर आवश्यक निर्देश देने सहित उच्चाधिकारियों के सहयोग हेतु बैठक में उपस्थित रहना सुनिश्चित किया।
 7. विभाग के 11 अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों का राजभाषा अधिकारियों द्वारा राजभाषा संबंधी आंतरिक निरीक्षण किया गया। इन संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई गई राजभाषा संबंधी प्रश्नावलियों की समीक्षा की गई और उनमें पाई गई कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए।
 8. समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा की प्रगति हेतु प्राप्त विभिन्न दिशा-निर्देशों को विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों तक प्रेषित किया गया।
 9. 14 सितंबर, 2025 से 28 सितंबर, 2025 तक विभाग में हिंदी पखवाड़े का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें राजभाषा हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
 10. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में आयोजित राजभाषा हिंदी से संबंधित सम्मेलनों/पुरस्कार समारोहों में विभाग की ओर से उपस्थिति सुनिश्चित की गई।
 11. विभाग द्वारा मार्च, 2025 में आयोजित मंथन शिविर में सौंपे गए महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित किया गया।

अनुलग्नक - I

प्रमुख रसायनों की उत्पादवार स्थापित क्षमता एवं उत्पादन

(आकड़ें हजार मीट्रिक टन में हैं)

प्रमुख समूह/उत्पाद	स्थापित क्षमता			उत्पादन					सीएजी. आर
	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. अल्कली केमिकल्स									
सोडा ऐश	3714.00	3714.00	3714.00	2638.12	3078.90	3219.32	2975.78	3279.27	5.6
कास्टिक सोडा	4227.40	4304.40	4673.65	2964.08	3462.77	3604.47	3617.99	3926.65	7.3
लिविचड क्लोरीन	3158.15	3241.96	3555.61	2174.26	2499.33	2668.85	2640.41	2731.80	5.9
कुल	11099.55	11260.35	11943.26	7776.46	9041.00	9492.64	9234.18	9937.72	6.3
2. इनऑर्गेनिक केमिकल्स									
एल्युमिनियम फ्लोराइड	25.60	25.60	25.60	3.70	8.91	5.31	5.38	5.20	8.9
कैल्शियम कार्बाइड	112.00	112.00	112.00	86.78	98.62	83.44	80.13	86.18	-0.2
कार्बन ब्लैक	696.00	771.00	772.00	384.78	456.49	447.00	484.38	548.50	9.3
पोटेशियम क्लोरेट	28.60	28.60	28.60	17.08	17.68	14.23	17.09	17.78	1.0
सोडियम क्लोरेट	22.32	22.32	22.32	17.92	21.14	23.21	21.49	21.47	4.6
टाइटैनीयम डाइऑक्साइड	82.50	82.50	82.50	51.22	56.96	46.81	54.02	52.34	0.5
रेड फास्फोरस	1.68	1.19	1.31	1.07	1.15	1.17	1.12	1.10	0.8
हाइड्रोजन पेरोक्साइड	221.27	222.29	221.29	139.90	143.49	184.37	188.12	183.12	7.0
पोटेशियम आयोडेट	1.20	1.20	1.20	0.54	0.58	0.51	0.53	0.53	-0.4
कैल्शियम कार्बोनेट	383.55	383.55	383.55	274.79	246.78	252.38	285.06	280.54	0.5
कुल	1574.71	1650.24	1650.36	977.78	1051.78	1058.43	1137.30	1196.75	5.2
3. ऑर्गेनिक केमिकल्स									
एसिटिक एसिड	165.51	165.51	165.51	154.76	166.59	165.49	164.32	167.77	2.0
एसिटिक एनहाइड्राइड	124.65	112.65	135.15	75.09	78.43	97.85	69.05	66.12	-3.1
एसिटोन	47.14	47.14	24.64	39.03	36.12	33.99	29.61	21.79	-13.6
फिनोल	76.75	76.75	40.00	61.27	58.16	54.98	47.52	34.87	-13.1

प्रमुख समूह/उत्पाद	स्थापित क्षमता			उत्पादन					सीएजी. आर
	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मेथनॉल	474.30	660.30	660.30	234.03	167.71	69.27	183.16	244.29	1.1
फॉर्मैल्डिहाइड	435.28	439.65	413.78	244.66	293.07	301.06	313.11	359.02	10.1
नाइट्रोबेंजीन	126.45	129.45	102.45	76.09	82.85	64.47	82.21	106.01	8.6
मैलिक एनहाइड्राइड	7.66	7.66	9.11	5.38	6.33	6.91	6.49	6.51	4.9
पेंटोराइथ्रिटोल	17.40	17.40	21.16	11.65	16.33	15.59	14.39	15.48	7.4
एनिलीन	54.10	54.10	35.00	33.53	39.66	22.17	30.34	36.59	2.2
क्लोरो मिथेन	438 ^{७45}	435 ^{७75}	449 ^{७85}	326 ^{७95}	340 ^{७82}	411 ^{७56}	386 ^{७85}	403 ^{७46}	5 ^{७4}
आइसोब्यूटाइलबेंजीन	16.80	16.80	12.00	12.72	8.52	9.60	9.67	8.01	-10.9
ओएनसीबी	30.00	30.00	30.00	23.27	26.69	27.08	25.43	29.62	6.2
पीएनसीबी	48.40	48.40	48.40	38.89	43.71	46.19	42.64	51.51	7.3
एमईके	10.00	10.00	10.00	8.00	8.85	8.35	8.00	8.44	1.3
एसीटैल्डिहाइड	151.97	154.97	155.51	55.97	72.51	77.70	64.18	85.91	11.3
एथेनॉलएमाइन	27.00	27.00	27.00	16.70	20.98	19.69	22.42	24.52	10.1
एथिल एसीटेट	575.06	564.26	564.26	453.13	445.43	438.34	439.64	484.86	1.7
मेन्थॉल	33.65	33.65	17.04	7.48	10.30	6.36	6.65	7.94	1.5
ऑर्थो नाइट्रो टोल्यून	44.80	44.80	49.58	27.67	29.95	34.90	37.06	26.71	-0.9
कुल	2905.36	3076.24	2970.74	1906.27	1953.00	1911.52	1982.75	2189.42	3.5
4. कीटनाशक और जीवनाशी									
डीडीटी	6.34	5.00	5.00	0.57	0.66	0.28	0.01	0.00	-100.0
मैलाथियॉन	3.80	5.76	5.76	3.84	3.29	2.84	2.93	3.96	0.8
डाइमैथोएट	1.45	1.45	1.45	1.45	1.39	1.01	0.98	1.43	-0.4
डीडीवीपी	33.62	24.92	24.92	0.94	0.42	0.04	0.00	0.00	-
क्विनॉलफॉस	3.40	1.98	1.98	1.06	2.45	0.60	0.72	0.98	-1.8
मोनोक्रोटोफोस	13.94	21.21	18.15	7.92	7.49	5.10	11.88	6.32	-5.5
फॉस्फैमिडोन	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
फोरेट	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
एथियन	2.80	2.80	2.80	2.22	2.79	2.33	2.63	2.84	6.4
फेनवेलरेट	4.96	4.86	4.86	0.49	0.68	0.50	0.46	0.55	2.7

प्रमुख समूह/उत्पाद	स्थापित क्षमता			उत्पादन					सीएजी. आर
	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
साइपरमेथ्रिन	26.80	44.78	44.74	12.29	16.48	10.88	8.56	10.77	-3.2
एसीफेट	20.50	51.28	51.28	29.59	29.56	33.39	37.36	24.98	-4.1
क्लोरपाइरीफोस	13.40	10.90	10.90	8.53	7.62	8.45	7.79	8.77	0.7
ट्रायज़ोफ़ोस	3.36	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
टेम्पोस	0.25	0.50	0.50	0.15	0.00	0.06	0.13	0.15	1.0
डेल्टामेथ्रिन	1.02	1.07	0.95	0.59	0.71	0.74	0.63	0.79	7.6
अल्फामेथ्रिन	0.64	0.64	0.66	0.54	0.51	0.49	0.23	0.25	-17.8
प्रोफेनोफोस टेक्निकल	17.40	19.64	20.54	16.08	16.25	16.10	15.14	18.03	2.9
प्रीटिलाक्लोर टेक्निकल	4.48	4.60	4.60	3.59	3.22	3.46	1.99	1.39	-21.1
लैम्डा साइहालोथ्रिन	3.77	10.92	10.92	1.68	2.70	3.10	2.00	1.80	1.8
फेनथोएट	0.90	1.39	1.39	1.35	1.83	1.80	1.58	1.99	10.3
परमेथ्रिन टेक्निकल	1.91	1.91	1.72	1.66	2.49	3.58	2.46	1.65	-0.1
इमिडाकैलोप्रिड टेक्निकल	0.15	0.20	0.20	0.03	0.03	0.00	0.02	0.00	-43.3
कैप्टन कैप्टाफोल	3.43	3.43	3.43	1.46	1.90	1.63	0.89	0.92	-10.9
ज़िराम (थियो बार्मेट)	0.70	0.31	0.31	0.88	0.67	0.59	0.74	0.84	-1.1
कार्बेन्डजिम एबेविस्टिन)	0.78	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
मैनकोज़ाब	121.80	131.95	131.95	97.43	118.67	83.62	107.36	119.76	5.3
हेक्साकोनाजोल	3.46	3.46	2.68	0.81	1.28	0.61	0.84	0.99	5.2
मेटकोनाजोल	0.50	0.50	0.50	0.20	0.19	0.35	0.30	0.14	-8.5
2, 4-डी	30.00	32.00	32.00	27.05	40.00	41.96	35.13	39.02	9.6
बुटाक्लोर	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
एथोफ्यूमेसेट टेक्निकल	1.95	2.01	1.15	0.43	0.73	0.89	0.79	0.46	1.6
थियामेथॉक्सम टेक्निकल	6.32	5.82	5.36	5.21	6.56	6.43	5.06	3.66	-8.5
पेन्डीमेथालिन	7.40	4.90	4.90	3.64	4.76	4.67	4.64	3.21	-3.1
मेट्रिबुज़िन	3.84	3.84	3.84	3.19	2.00	2.34	2.04	3.15	-0.3
ट्राइक्लोपायर एसिड टेक्निकल	0.30	0.30	0.30	0.00	0.38	0.17	0.21	0.00	-

प्रमुख समूह/उत्पाद	स्थापित क्षमता			उत्पादन					सीएजी. आर
	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आइसोप्रोटुरोन	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
ग्लाइफोसेट	12.92	9.60	8.40	6.13	5.72	4.70	4.93	6.38	1.0
डायुरोन	6.00	6.00	6.00	3.42	2.33	3.50	4.38	5.55	12.8
एट्राज़िन	2.40	3.00	3.00	1.61	1.69	3.06	5.22	6.30	40.6
ज़िक फॉस्फाइड	1.92	2.54	2.54	1.47	2.02	1.49	2.05	1.36	-1.9
एल्युमिनियम फॉस्फाइड	4.74	11.04	11.04	7.61	9.90	7.37	8.02	8.88	3.9
डाइकोफोल	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
कुल	388.60	443.70	437.90	255.09	299.34	258.13	280.11	287.27	3.0
5. डाई और पिगमेंट									
एज़ो डाई	18.90	17.70	18.06	6.62	9.15	7.65	6.47	6.00	-2.4
एसिड डायरेक्ट डाई (एज़ो के अलावा)	46.00	46.00	46.00	20.22	23.97	21.16	24.84	22.51	2.7
डिस्पर्स डाई	92.27	90.38	90.38	51.79	65.94	60.43	65.37	68.77	7.3
ऑयल सॉल्यूबल एसॉल्वेंट डाई	1.20	1.20	1.20	0.44	0.67	0.47	0.55	0.53	4.5
ऑप्टिकल व्हाइटनिंग एजेंट	67.68	65.28	65.28	18.18	22.54	16.77	19.68	20.50	3.1
ऑर्गेनिक पिगमेंट	89.02	102.69	101.70	67.27	74.34	55.60	53.93	49.67	-7.3
पिगमेंट इमल्शन	3.77	10.80	11.02	8.60	9.31	8.32	9.10	9.14	1.6
रीएक्टिव डाई	216.53	221.15	278.03	132.13	161.94	117.21	136.59	163.68	5.5
सल्फर डाई (सल्फर ब्लैक)	13.20	13.20	13.20	5.09	8.58	10.68	7.93	8.38	13.2
वैट डाई	3.34	3.34	3.34	1.99	2.32	2.44	1.73	2.17	2.3
खाद्य रंग	0.00	0.00	0.00	0.49	0.71	0.92	0.78	0.84	14.3
इनऑर्गेनिक पिगमेंट	18.05	18.65	18.65	14.64	18.55	16.41	17.68	20.09	8.2
कुल	569.95	590.39	646.87	327.46	398.02	318.06	344.65	372.28	3.3
कुल रसायन (1+2+3+4+5)	16538.18	17020.92	17649.12	11243.05	12743.14	13038.76	12979.00	13983.43	5.6
<p>स्रोत: रसायन और पेट्रोरसायन उत्पादों के उत्पादन और स्थापित क्षमता का स्रोत (जिसकी निगरानी रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के सांख्यिकी और निगरानी प्रभाग (एस एंड एम) द्वारा की जा रही है) केवल बड़े और मध्यम पैमाने की इकाइयों के अंतर्गत उत्पादनकर्ताओं से प्राप्त एमपीआर हैं।</p> <p>नोट: कुछ कीटनाशक और डाई उत्पादन इकाइयां संयुक्त स्थापित क्षमता की आपूर्ति करती हैं।</p>									

अनुलग्नक - II

प्रमुख पेट्रोरसायनों की उत्पादवार स्थापित क्षमता और उत्पादन

(आंकड़ें हजार मीट्रिक टन में हैं)

प्रमुख समूह / उत्पाद	स्थापित क्षमता			उत्पादन					सीए जीआर (%)
	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क. आधारभूत प्रमुख पेट्रोरसायन									
1. सिंथेटिक फाइबर/यार्न									
ऐक्रेलिक फाइबर	108.00	108.00	108.00	77.02	66.68	96.15	76.21	69.31	-2.6
पॉलिएस्टर स्टेपल फाइ. बरफिल	69.00	69.00	69.00	40.30	39.04	34.13	34.95	36.11	-2.7
नायलॉन फिलामेंट यार्न	66.58	64.74	64.74	33.27	46.19	44.11	38.69	39.21	4.2
नायलॉन इंडस्ट्रियल यार्न/टायर कॉर्ड	165.70	176.79	176.79	90.29	115.47	100.61	113.29	119.92	7.4
पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न	2661.15	2655.27	2655.27	1997.93	2560.79	2486.48	2507.83	2744.70	8.3
पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर	1350.46	1340.71	1340.71	909.38	1160.48	1161.02	1025.29	1063.21	4.0
पॉलीप्रोपाइलीन फिलामेंट यार्न	3.60	3.60	3.60	2.17	2.81	1.92	1.92	2.04	-1.6
पॉलीप्रोपाइलीन स्टेपल फाइबर	29.73	29.73	29.73	15.34	21.25	22.23	22.41	23.25	11.0
पॉलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न	21.50	21.50	27.40	12.36	14.39	13.56	14.63	19.70	12.4
इलास्टोमेरिक/स्पैन्डेक्स फिलामेंट यार्न	20.00	28.50	28.50	6.60	12.90	12.33	17.31	20.03	32.0
कुल	4495.72	4497.83	4503.73	3184.65	4040.01	3972.55	3852.54	4137.47	6.8
2. पॉलिमर									
लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन (एलएलडीपीई)	कोई पृथक क्षमता नहीं			2958.92	2914.12	2424.42	2749.96	3046.14	0.7
हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन (एचडीपीई)	कोई पृथक क्षमता नहीं			1910.04	1915.77	1717.90	1961.46	1856.15	-0.7
एलएलडीपीई/एचडीपीई (संयुक्त) *	5158.10	5158.10	5158.10	4868.96	4829.89	4142.32	4711.42	4902.29	0.2

प्रमुख समूह / उत्पाद	स्थापित क्षमता			उत्पादन					सीए जीआर (%)
	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन	610.00	610.00	610.00	616.61	583.04	625.09	581.72	617.41	0.0
पॉलीस्टाइरीन (पीएस)	499.00	499.00	499.00	217.45	247.94	271.68	292.91	341.59	12.0
पॉलीप्रोपाइलीन एपीपी)	4933.80	4933.80	4933.80	4919.10	5240.70	4773.51	5371.20	5873.59	4.5
एक्सपेंडेबल पॉलीस्टाइनिन	193.00	199.00	199.00	87.39	97.22	108.42	118.31	118.75	8.0
पॉली विनाइल क्लोराइड एपीवीसी)	1500.00	1550.00	1552.00	1434.12	1471.87	1565.59	1472.36	1513.52	1.4
कुल	12893.90	12949.90	12951.90	12143.62	12470.65	11486.62	12547.93	13367.15	2.4
3. सिंथेटिक रबर									
स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर	271.00	271.00	271.00	212.91	237.47	205.39	245.50	259.31	5.1
पॉली ब्यूटाडीन रबर	100.00	100.00	100.00	128.55	132.82	126.11	134.69	137.55	1.7
एथिल विनाइल एसीटेट	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर	15.50	17.40	17.40	11.88	12.34	13.36	14.45	14.47	0.0
कुल	401.50	403.40	403.40	353.34	382.63	344.86	394.65	411.33	3.9
4. सिंथेटिक डिटर्जेंट इंटरमीडिएट									
लीनियर एल्काइल बेंजीन (लेब)	544.79	586.79	586.79	457.07	462.30	413.16	478.98	467.00	0.5
एथिलीन ऑक्साइड (ईओ)	135.00	135.00	135.00	279.37	318.09	289.86	329.39	356.07	6.3
कुल	679.79	721.79	721.79	736.44	780.39	703.02	808.37	823.07	6.8
5. परफॉर्मैस प्लास्टिक									
नायलॉन-6	कोई पृथक क्षमता नहीं			55.39	68.33	68.73	65.24	64.84	4.0
नायलॉन 6,6	कोई पृथक क्षमता नहीं			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
नायलॉन-6/ नायलॉन 6,6 (संयुक्त)	83.50	83.50	83.50	55.39	68.33	68.73	65.24	64.84	4.0
एबीएस रेजिन	199.00	203.00	203.00	121.94	122.78	148.94	167.37	176.54	9.7
पॉलीमेथिल मेथैक्रिलेट	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
स्टाइरीन एक्रिलोनाइट्राइल (एसएएन)	167.00	167.00	167.00	118.61	121.75	139.07	128.86	140.51	4.3
पॉलिएस्टर चिप्स/पीईटी चिप्स	2622.55	2586.30	2586.30	1208.99	1365.93	1254.30	1048.91	1505.76	5.6

प्रमुख समूह / उत्पाद	स्थापित क्षमता			उत्पादन					सीए जीआर (%)
	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पॉलीटेटरा फ्लोरो इथिलीन (पीटीएफई)	20.30	20.30	19.80	14.64	18.90	17.32	14.21	15.96	2.2
कुल	3096.25	3060.10	3059.60	1519.57	1697.68	1628.37	1424.60	1903.60	5.8
कुल आधारभूत प्रमुख पेट्रोरसायन (1+2+3+4+5)	21567.16	21633.02	21640.42	17937.61	19371.36	18135.41	19028.08	20642.62	3.6
ख: इंटरमीडिएट्स									
1. फाइबर इंटरमीडिएट्स									
एक्रिलोनाइट्राइल (एसीएस)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73	-
कैप्रोलैक्टम	120.00	120.00	120.00	80.41	108.17	129.64	114.62	81.82	0.4
मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल (एमईजी)	2210.60	2335.60	2335.60	1981.98	1990.16	1656.20	1683.67	1935.31	-0.6
प्युरिफाइड टेरैफथैलिक एसिड (पीटीए)	3873.00	4020.00	4020.00	2996.76	3383.34	3202.20	3158.00	3415.31	3.3
कुल	6227.60	6499.60	6499.60	5059.15	5481.67	4988.03	4956.29	5440.16	1.8
2. बिल्डिंग ब्लॉक्स									
(i) ओलेफिन्स									
ब्यूटाडीन	552.00	552.00	552.00	458.80	477.40	429.43	509.02	522.15	3.3
ईथिलीन	7147.30	7147.30	7147.30	6364.89	6414.52	5802.61	6057.97	6389.66	0.1
प्रोपाइलीन	5190.38	6180.70	6204.48	5215.76	5635.10	5064.00	5833.98	6371.98	5.1
कुल	12889.68	13880.00	13903.78	12039.45	12527.02	11296.05	12400.96	13283.79	2.5
(ii) एरोमैटिक्स									
बेंजीन	1884.35	1943.02	1941.82	1407.87	1427.55	1156.60	1291.92	1284.23	-2.3
मिक्सड ज़ाइलीन	898.33	898.33	898.33	146.68	160.87	45.43	53.04	68.93	-17.2
ऑर्थोक्सीलीन	511.00	511.00	511.00	522.12	511.15	408.37	343.19	207.12	-20.6
टोलुईन	288.27	288.27	289.67	113.99	115.66	112.50	131.73	141.56	5.6
पैराजाइलीन (पीएक्स)	3821.70	3919.70	3919.70	2614.21	2461.94	1638.87	1417.33	993.93	-21.5
कुल	7403.65	7560.32	7560.52	4804.86	4677.17	3361.78	3237.21	2695.75	-13.5
कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स (i+ii)	20293.33	21440.32	21464.30	16844.31	17204.19	14657.82	15638.17	15979.54	-1.3
कुल इंटरमीडिएट्स (1+2)	26520.93	27939.92	27963.90	21903.46	22685.86	19645.85	20594.45	21419.71	-0.6

प्रमुख समूह / उत्पाद	स्थापित क्षमता			उत्पादन					सीए जीआर (%)
	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ग: अन्य पेट्रो-आधारित रसायन									
डायएथिलीन ग्लाइकॉल	170.90	187.08	187.08	172.33	173.71	141.76	147.26	171.97	-0.1
डायएसीटोन अल्कोहल	9.50	9.50	0.00	2.93	5.66	3.17	0.01	0.00	-100.0
एथिलीन डाइक्लोराइड	593.20	569.00	569.00	326.24	366.96	398.62	380.20	392.09	4.7
ब्यूटानॉल	176.00	176.00	176.00	20.29	38.29	42.43	41.87	51.40	26.2
2-एथिल हेक्सानोल	110.20	110.20	110.20	49.67	91.26	90.22	101.52	88.54	15.5
विनाइल क्लोराइड मोनोमर	541.30	572.30	572.30	799.22	813.08	849.31	792.33	821.03	0.7
पीबीटी**	-	-	-	6.09	7.55	7.93	7.59	7.74	6.2
पॉलीकार्बोनेट**	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
प्रोपिलीन ऑक्साइड	51.00	51.00	51.00	44.42	49.92	49.23	45.22	33.46	-6.8
प्रोपलीन ग्लाइकॉल	22.00	22.00	22.00	19.71	20.54	21.32	21.20	21.25	1.9
पॉलीविनाइल एसीटेट रेजिन	12.00	12.00	12.00	2.96	7.35	9.54	15.61	10.77	38.1
अनसैचुरेटेड पॉलीस्टर रेजिन	34.00	34.00	34.00	12.88	16.55	19.01	24.97	22.40	14.8
मिथाइल मेथैक्रिलेट	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
आइसो-ब्यूटानॉल	9.80	9.80	9.80	2.07	3.97	5.78	5.82	5.30	26.5
सी4-रैफिनेट	291.60	291.60	291.60	433.42	444.57	393.52	448.47	440.61	0.4
पथेलिक एनहाइड्राइड	401.91	401.91	415.11	292.96	339.62	330.16	342.35	347.55	4.4
विनाइल एसीटेट मोनोमर	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
आइसोप्रोपेनॉल	70.20	70.20	70.20	55.31	65.13	48.78	60.49	61.82	2.8
पोलिओल	163.03	163.03	164.39	77.83	87.15	99.83	103.09	95.79	5.3
कुल	2691.01	2713.99	2689.06	2318.32	2531.29	2510.61	2538.00	2571.72	2.6
कुल पेट्रोरसायन (क+ख+ग)	50779.10	52286.93	52293.38	42159.38	44588.52	40291.87	42160.54	44634.04	1.4
<p>स्रोत: रसायन और पेट्रोरसायन उत्पादों के उत्पादन और स्थापित क्षमता का स्रोत (जिसकी निगरानी रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के सांख्यिकी और निगरानी प्रभाग (एस एंड एम) द्वारा की जा रही है) केवल बड़े और मध्यम पैमाने की इकाइयों के अंतर्गत उत्पादनकर्ताओं से प्राप्त एमपीआर हैं।</p> <p>नोट: 1.* एलएलडीपीई और एचडीपीई दोनों की संयुक्त स्थापित क्षमता।</p> <p>नोट: 2.**एन-6, एन6,6, पीबीटी और पॉलीकार्बोनेट की संयुक्त स्थापित क्षमता</p>									

अनुलग्नक - III

स्वीकृत प्लास्टिक पार्क के वित्तीय विवरण

क्र.सं.	स्थान	अंतिम स्वीकृति	भूमि क्षेत्र (एकड़)	भूखंडों की कुल संख्या	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)
1.	तामोट, मध्य प्रदेश	09.10.2013	122	172	108.00	40.00
2.	जगतसिंहपुर, ओडिशा	09.10.2013	120	81	106.78	40.00
3.	तिरुवल्लूर, तमिलनाडु	05.09.2019	240	65	216.92	40.00
4.	तिनसुकिया, असम	21.02.2014	173	104	93.65	40.00
5.	देवघर, झारखंड	20.12.2018	93	102	67.33	33.67
6.	बिलौआ, मध्य प्रदेश	20.12.2018	93	107	68.72	34.36
7.	सितारगंज, उत्तराखंड	03.12.2020	40	81	67.73	33.90
8.	सरोरा, छत्तीसगढ़	13.04.2021	47	48	42.09	21.04
9.	गंजीमट्ट, कर्नाटक	21.01.2022	104	66	62.78	31.38
10.	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	13.07.2022	88	92	69.58	34.79

अनुलग्नक - IV

उत्कृष्टता केंद्र (सीआई) का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	उत्कृष्टता केंद्र का नाम और स्थान	अनुमोदन वर्ष	कुल परियोजना लागत	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग का अनुदान
1.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट), चेन्नई में ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (जीआरईईटी)	2011	18.98	6.00
2.	सीएसआईआर- राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एनसीएल), पुणे में अनुसंधान और नवाचार के लिए सस्टेनेबल पॉलिमर इंडस्ट्री	2011	12.00	6.00
3.	आईआईटी, दिल्ली में उन्नत पॉलिमर सामग्री	2013	12.00	6.00
4.	आईआईटी गुवाहाटी में सस्टेनेबल पॉलीमर्स (सुसपोल)	2013	14.74	6.00
5.	सिपेट, भुवनेश्वर में सस्टेनेबल ग्रीन सामग्री	2013	15.04	6.00
6.	सिपेट, भुवनेश्वर में जैव-इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित सस्टेनेबल पॉलिमरिक प्रणालियाँ	2019	10.01	5.00
7.	सिपेट, भुवनेश्वर में अगली पीढ़ी के जैव-चिकित्सा उपकरणों का निर्माण	2020	10.00	5.00
8.	आईआईटी, रुड़की में पेट्रोरसायन उद्योगों में प्रक्रिया विकास, अपशिष्ट जल प्रबंधन	2019	13.16	4.4
9.	सीएसआईआर-एनसीएल, पुणे में अनुकूलित एडिटिव मैनुफैक्चरिंग के लिए विशिष्ट पॉलिमर	2019	5.60	2.80
10.	सीएसआईआर - भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), हैदराबाद में सजावटी, सुरक्षात्मक और रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए पॉलिमर कोटिंग्स	2020	9.72	4.86
11.	सीएसआईआर - उत्तर पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-एनआईएएएसटी), जोरहाट में पेट्रोलियम उद्योगों के सतत विकास के लिए पॉलिमर, उनके मिश्रित उत्पाद और पॉलिमरिक मेम्ब्रेन	2020	24.75	4.99
12.	आईआईटी, गुवाहाटी में पॉलिमर टॉयस (सुंदर टॉयस) का टिकाऊ और नवोन्मेषी डिजाइन और निर्माण	2021	10.59	5.00
13.	इंडियन रबर मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन (आईआरएमआरए), ठाणे में रबर और संबंधित तैयार उत्पादों से बने मूल्यवर्धित खिलौनों के डिजाइन और विकास का कार्य	2021	9.87	4.93
14.	आईआईटी (आईएसएम), धनबाद में कोयले से एसिटिलीन और फाइन केमिकल्स	2024	5.61	2.61
15.	आईआईटी, मद्रास में बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सामग्री (बायोपैक)	2024	9.91	4.95
16.	सीएसआईआर- राष्ट्रीय अंतःविषयक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएएएसटी), तिरुवनंतपुरम में औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए निष्पादन रसायन और टिकाऊ पॉलिमर	2024	15.52	5.00
17.	आईआईटी कानपुर में स्पेशलिटी केमिकल्स	2024	11.86	4.99
18.	सीएसआईआर- एडवांस्ड मैटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एएमपीआरआई), भोपाल में खिड़कियों और व्यक्तिगत सुरक्षात्मक परिधानों के लिए पारदर्शी और जैव-अनुकूल धातु-पॉलिमर कंपोजिट आधारित एक्स-रे, गामा किरण और न्यूट्रॉन शील्ड	2024	3.90	1.95

अनुलग्नक - V

गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) का विवरण

क्र.सं.	भारतीय मानक /एचएस कोड	रसायन का नाम	क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तिथि	क्यूसीओ को लागू करने की तिथि
1.	आईएस 252:2013 (एचएस कोड: 28151110, 28151190, 28151200)	कास्टिक सोडा	03.04.2018	03.04.2018
2.	आईएस 15573 : 2018 (एचएस कोड 28273200)	पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड	05.08.2019	02.02.2020
3.	आईएस 8058: 2018 (एचएस कोड 29333100)	पिरिडीन	16.06.2020	-
4.	आईएस 16113: 2013, 2018 में पुनः पुष्टि (एचएस कोड 29333913)	गामा पिकोलाइन	16.06.2020	13.03.2024
5.	आईएस 16112: 2013 (एचएस कोड: 29333916)	बीटा पिकोलाइन	16.06.2020	-
6.	आईएस 12084: 2018 (एचएस कोड 29333917)	मॉर्फोलाइन	16.06.2020	01.05.2025
7.	आईएस 297: 2001, 2017 में पुनः पुष्टि (एचएस कोड 28301000)	सोडियम सल्फाइड	16.06.2020	14.12.2020
8.	आईएस 7129: 1992, 2015 में पुनः पुष्टि (एचएस कोड 28364000)	पोटेशियम कार्बोनेट	16.06.2020	13.03.2024
9.	आईएस 170: 2004, 2015 में पुनः पुष्टि (एचएस कोड 29141100)	एसीटोन	16.06.2020	13.03.2024
10.	आईएस 4581: 1978 2015 में पुनः पुष्टि (एचएस कोड 28121300)	फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड	16.06.2020	14.12.2020

क्र.सं.	भारतीय मानक /एचएस कोड	रसायन का नाम	क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तिथि	क्यूसीओ को लागू करने की तिथि
11.	आईएस 11744: 1986 2015 में पुनः पुष्टि (एचएस कोड 28121400)	फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड	16.06.2020	14.12.2020
12.	आईएस 11657: 1986 2015 में पुनः पुष्टि (एचएस कोड 28121200)	फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड	16.06.2020	14.12.2020
13.	आईएस 2080: 1980, (पुनः पुष्टि 2016) (एचएस कोड 28470000)	हाइड्रोजन पेरोक्साइड	16.06.2020	22.11.2022
14.	आईएस 3205: 1984, (पुनः पुष्टि 2015) आईएस 12928: 1990, (पुनः पुष्टि 2017) (एचएस कोड 28366000)	अवक्षेपित बेरियम कार्बोनेट	16.06.2020	14.12.2020
15.	आईएस 4505: 2015 (एचएस कोड 28311020)	सोडियम फॉर्मिलिहाइड सल्फोवि. सलेट	16.06.2020	14.12.2020
16.	आईएस 6100: 1984, 2015 में पुनः पुष्टि (एचएस कोड 28353100)	सोडियम ट्रिपोलीफॉस्फेट	16.06.2020	-
17.	आईएस 7686 : 2020 (एचएस कोड 2922 2914)	3 (एन, एन-डाई एथिल) एमिनोफेनोल	25.05.2021	24.11.2021
18.	आईएस 4566 : 2020 (एचएस कोड 29031200)	मेथिलीन क्लोराइड एडाइक्लोरोमीथेन)	25.05.2021	20.11.2023
19.	आईएस 2012 : 2006, 2016 में पुनः पुष्टि (एचएस कोड 2804 7020)	रेड फास्फोरस	25.05.2021	24.11.2021
20.	आईएस 798 : 2020 (एचएस कोड 2809 2010)	ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड	15.06.2021	10.12.2022
21.	आईएस 17439 : 2020 (एचएस कोड 2809 2020)	पॉलीफॉस्फोरिक एसिड	24.12.2021	22.12.2022

क्र.सं.	भारतीय मानक /एचएस कोड	रसायन का नाम	क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तिथि	क्यूसीओ को लागू करने की तिथि
22.	आईएस 17412 : 2020	ट्राइमिथाइल फॉस्फाइड	05.04.2022	02.10.2022
23.	आईएस 17450 : 2020	1, 3 फेनिलडायमाइन	27.04.2022	24.10.2022
24.	आईएस 12124:1987	रबरसीड फैंटी एसिड	27.04.2022	24.10.2022
25.	आईएस 8637 : 2020	एच एसिड	14.11.2024	-
26.	आईएस 11557: 1986	के एसिड	14.11.2024	-
27.	आईएस 18340 : 2023	विनाइल सल्फोन	14.11.2024	-
28.	आईएस 14887: 2014 (एचएस कोड 39232100/ 39232990)	50 किलोग्राम अनाज की पैकेजिंग के लिए उच्च घनत्व पॉलीइथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) के बुने हुए बोरे।		
29.	आईएस 16208:2015 (एचएस कोड 39232100/ 39232990)	10 कि.ग्रा., 15 कि.ग्रा., 20 कि.ग्रा., 25 कि.ग्रा. और 30 कि.ग्रा. खाद्यान्न की पैकेजिंग के लिए उच्च घनत्व पॉलीइथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) के बुने हुए बोरे।	का.आ. 1403(अ) दिनांक 23 अप्रैल, 2020	23.10.2020
30.	आईएस 14968:2015 (एचएस कोड 39232100/ 39232990)	50 किलो/25 किलो चीनी की पैकेजिंग के लिए उच्च घनत्व पॉलीइथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) के बुने हुए बोरे।		
31.	आईएस 14252:2015 (एचएस कोड 39232100/ 39232990)	रेत भरने के लिए उच्च घनत्व पॉलीइथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) के बुने हुए बोरे		

क्र.सं.	भारतीय मानक /एचएस कोड	रसायन का नाम	क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तिथि	क्यूसीओ को लागू करने की तिथि
32.	आईएस 11356: 2020 एच एस 40021100	स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर लेटेक्स	का.आ. 1626(अ) दिनांक 15 अप्रैल, 2021	15.10.2021
			का.आ. 3957ए 18.09.2024	"बशर्ते कि इस आदेश में उल्लिखित कोई भी बात ऑटोमोटिव लिथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कार्बोक्सिलेटेड एसबीआर लेटेक्स ग्रेड पर लागू नहीं होगी।"
33.	आईएस 336:1973 (एचएस कोड 39072010)	ईथर	का.आ. 2183 (अ) दिनांक 29 जून, 2020	
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 4782 (अ) दिनांक 24.12.2020	
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 2548 (अ) दिनांक 24.06.2021	25.12.2021
34.	आईएस 12795:2020 एचएस 38170011	लीनियर एल्काइल बेंजीन	का.आ. 1648(अ) दिनांक 5 अप्रैल, 2022	
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 4602 (अ) दिनांक 29 सितंबर 2022	03.04.2023
35.	आईएस 17263:2019 एचएस: 55032000	पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर (पीएसएफ)	का.आ. 1651(अ) दिनांक 5 अप्रैल, 2022	
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 4605 (अ) दिनांक 29 सितंबर 2022	03.04.2023 (प्रभावी)
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 2333 (अ) दिनांक 26 मई 2023	"बशर्ते कि इस आदेश की कोई भी बात लो मेल्ट पॉलिएस्टर फाइबर पर लागू नहीं होगी।"
36.	आईएस 16481:2016 एचएस: 55032000	सीमेंट आधारित मैट्रिक्स में उपयो के लि, सिंथेटिक माइक्रो-फाइबर	का.आ. 1654(अ) दिनांक 5 अप्रैल, 2022	
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 4608(अ) दिनांक 29 सि. तंबर, 2022	03.04.2023 (प्रभावी)

क्र.सं.	भारतीय मानक /एचएस कोड	रसायन का नाम	क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तिथि	क्यूसीओ को लागू करने की तिथि
37.	आईएस 17077:2019 एचएस 39033000	एक्रिलोनाइड्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस)	का.आ. 3927(अ) दिनांक 13 सि. तंबर, 2021	
		पहला संशोधन	का.आ.88 (र), दिनांक 7 जनवरी, 2022	
		दूसरा संशोधन	का.आ. 1069(अ) दिनांक 10 मार्च, 2022	
		तीसरा संशोधन	का.आ.1121(अ), दिनांक 9 मार्च, 2023	12.06.2023
		चौथा संशोधन	का.आ. 4988(अ), दिनांक 20.11. 2024	"बशर्ते कि इस आदेश में कुछ भी एक्रिलोनाइड्राइल-ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) मोल्डिंग और एक्सट्रूजन सामग्री पर लागू नहीं होगा जिसका उपयोग टोको ट्रांसड्यूसर के उत्पादन के लिए किया जाता है।"
38.	आईएस 5158: 1987 एचएस 29173500	पथेलिक एनहाइड्राइड	का.आ. 5434 (अ) दिनांक 24 दिसंबर, 2021	
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 2728(अ) दिनांक 13.06. 2022	
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 5989(अ) दिनांक 21.12. 2022	22.06.2023
39.	आईएस 15030:2001 एचएस 29173600	टैरेपथैलिक एसिड	का.आ. 5437(अ) दिनांक 24 दिसंबर, 2021	
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 2730(अ) दिनांक 13.06. 2022	
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 5991(अ) दिनांक 21.12. 2022	22.06.2023

क्र.सं.	भारतीय मानक /एचएस कोड	रसायन का नाम	क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तिथि	क्यूसीओ को लागू करने की तिथि
40.	आईएस 5295:1985 एचएस 29053100	इथाइलीन ग्लाइकॉल	का.आ. 5435(अ) दिनांक 24 दिसंबर, 2021	
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 2731(अ) दिनांक 13.06.2022	
		मूल आदेश	का.आ. 6109(अ) दिनांक 28.12.2022	
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 1407(अ) दिनांक 23.03.2023	28.06.2023
41.	आईएस 17264:2019 एचएस 54023300	पॉलिएस्टर औद्योगिक यार्न (आईडीवाई)	का.आ. 1652(अ) दिनांक 5 अप्रैल, 2022	
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 4606(अ) दिनांक 29 सितंबर, 2022	
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 1560(अ) दिनांक 31 मार्च, 2023	03.07.2023
		क्यूसीओ में तीसरा संशोधन	का.आ. 3196(अ), दिनांक 17 जुलाई, 2023	"बशर्ते कि इस आदेश में उल्लिखित कोई भी बात 500 (पांच सौ) से कम इनकारकर्ताओं पर लागू नहीं होगी।"
42.	आईएस 17261:2019 एचएस 54024700	पॉलिएस्टर कंटीन्यूअस फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (एफडीवाई)	का.आ. 1649(अ) दिनांक 5 अप्रैल, 2022	
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 4603(अ) दिनांक 29 सितंबर, 2022	
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 1558(अ) दिनांक 31 मार्च, 2023	
		मूल आदेश	का.आ. 3193(अ) दिनांक 17 जुलाई, 2023	05.10.2023
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 2878(अ) दिनांक 18 जुलाई, 2024	"बशर्ते कि इस आदेश की कोई भी बात लो मेल्ट पॉलिएस्टर यार्न पर लागू नहीं होगी।"

क्र.सं.	भारतीय मानक /एचएस कोड	रसायन का नाम	क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तिथि	क्यूसीओ को लागू करने की तिथि
43.	आईएस 17262:2019 एचएस 54024600	पॉलिएस्टर आंशिक रूप से ऑरिएंटेड यार्न (पीओवाई)	का.आ. 1650(अ) दिनांक 5 अप्रैल, 2022	
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 4604(अ) दिनांक 29 सितंबर, 2022	
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 1559(अ) दिनांक 31 मार्च, 2023	
		मूल आदेश	का.आ. 3194(अ), दिनांक 17 जुलाई, 2023	05.10.2023
44.	आईएस 17265:2019 एचएस 55092100	100 प्रतिशत पॉलिएस्टर से बना हुआ ग्रे और सफेद धागा (पीएसवाई)	का.आ. 1653(अ) दिनांक 5 अप्रैल, 2022	
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 4607(अ) दिनांक 29 सितंबर, 2022	
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 1561(अ) दिनांक 31 मार्च, 2023	
		मूल आदेश	का.आ. 3195(अ), दिनांक 17 जुलाई, 2023	05.10.2023
45.	आईएस 7328:2020 एचएस 39011010 आईएस 7328:2020 (एचएस कोड 39011090) आईएस 7328:2020 (एचएस कोड 39012000) आईएस 7328:2020 एच एस 39019090	लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन (एलएलडीपीई)	का.आ. 1647(अ) दिनांक 5 अप्रैल, 2022	
		मोल्डिंग और एक्सट्रूजन (गुणवत्ता नियंत्रण) हेतु पॉलीइथिलीन सामग्री		
		अन्य पॉलीइथाइलीन जिसमें विशिष्ट गुरुत्व < 0.94 (पीसी) 19 है पॉलीइथिलीन सामग्री मोल्डिंग और एक्सट्रूजन (गुणवत्ता नियंत्रण)		

क्र.सं.	भारतीय मानक /एचएस कोड	रसायन का नाम	क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तिथि	क्यूसीओ को लागू करने की तिथि
		पॉलीइथिलीन जिसमें विशिष्ट गुरुत्व 0.94 /अधिक (पीसी) 20 (एचडीपीई) है मोल्डिंग और एक्सट्रूजन (गुणवत्ता नियंत्रण) हेतु पॉलीइथिलीन सामग्री		
		'प्राथमिक रूपों में एथिलीन के अन्य पॉलिमर (पीसी) 22 मोल्डिंग और एक्सट्रूजन (गुणवत्ता नियंत्रण) पॉलीइथिलीन सामग्री		
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 4601(अ) दिनांक 29 सितंबर, 2022	
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 1557(अ), दिनांक 31 मार्च, 2023	
		क्यूसीओ में तीसरा संशोधन	का.आ. 4235(अ), दिनांक 26 सितंबर, 2023	05.01.2024
		क्यूओसी में चौथा संशोधन	का.आ. 68(अ), दिनांक 4 जनवरी, 2024	
		<p>बशर्ते कि इस आदेश में दी गई कोई भी बात मोल्टिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीइथिलीन सामग्री के निम्नलिखित वर्गों पर लागू नहीं होगी, अर्थात्—</p> <p>क. लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन एक्सट्रूजन (एलडीपीई) कोटिंग</p> <p>ख. लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन (एलडीपीई) फिल्म ग्रेड (ब्लोन/कास्ट) या फार्माय</p> <p>ग. लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन (एलएलडीपीई) ब्यूटेन ग्रेड</p> <p>घ. लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन (एलएलडीपीई) हेक्सेन/ऑक्टेन ग्रेड</p> <p>ड. मेटालोसीन पॉलीइथिलीन ग्रेड</p> <p>च. पावर केबल, जैकेटिंग और अन्य अनुप्रयोगों के लिए बेस रेजिनय और</p> <p>छ. केबल जैकेटिंग/शीथिंग/पॉलीइथिलीन-80 और पॉलीइथिलीन-100 (काला और रंगीन)/रीइन्फोर्समेंट फिलर्स के लिए कंपाउण्ड</p>		

क्र.सं.	भारतीय मानक /एचएस कोड	रसायन का नाम	क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तिथि	क्यूसीओ को लागू करने की तिथि
46.	आईएस 14709:1999 एचएस 29161210	एन-ब्यूटाइल एक्रिलेट	का.आ. 5438(अ) दिनांक 24 दिसंबर, 2021	
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 2729(अ) दिनांक 13.06.2022	
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 5992(अ) दिनांक 21.12.2022	
		क्यूसीओ में तीसरा संशोधन	का.आ. 2729(अ) दिनांक 20.06.2023	
47.	आईएस 16703:2017 एचएस 39269090	कपड़ा – 25 किलोग्राम पॉलिमर सामग्री की पैकेजिंग के लिए उच्च घनत्व पॉलीइथिलीन (एचडीपीई) और पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) से बुने हुए बोरे	का.आ. 5180(अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2023	
48.	आईएस 17042 (भाग-I): 2020/ आईएसओ 22241-1:2019)	डीजल इंजन – एनओएक्स रिडक्शन एजेंट एयूएस 32	का.आ. 922(अ), दिनांक 26 फरव. री, 2024	26 अगस्त, 2024
49.	आईएस 9755 : 2021 एच एस 39239090	कपड़ा – उर्वरकों की पैकेजिंग के लिए उच्च घनत्व पॉलीइथिलीन (एचडीपीई) / पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) से बुने हुए बोरे	का.आ. 5177(अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2023	
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 2180(अ), दिनांक 4 जून 2024	6 सितंबर, 2024

भारत के राजपत्र में अधिसूचित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की सूची (गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के विस्तार हेतु)

विस्तार हेतु क्यूसीओ (संख्या में 17)

1	आईएस 537:2011 एचएस 29023000	टोल्यूईन	का.आ. 5436(अ), दिनांक 24 दिसंबर, 2021	22.12.2025
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 2727(अ), दिनांक 13.06.2022	
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 5990(अ), दिनांक 21.12.2022	
		क्यूसीओ में तीसरा संशोधन	का.आ. 2730(अ), दिनांक 20.06.2023	
		क्यूसीओ में चौथा संशोधन	का.आ. 5373(अ), दिनांक 19.12.2023	
2	आईएस 4105:2020 एचएस 29025000	स्टाइरीन (विनाइल बेंजीन)	का.आ. 1645(अ), दिनांक 5 अप्रैल, 2022	24.10.2025
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 4599(अ), दिनांक 29 सितंबर, 2022	
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 1786(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2023	
		क्यूसीओ में तीसरा संशोधन	का.आ. 1465(अ), दिनांक 18 मार्च, 2024	
		क्यूसीओ में चौथा संशोधन	का.आ. 4653(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2024	
3	आईएस 12345:1988 एचएस 29153200	विनाइल एसीटेट मोनोमर	का.आ. 5405(अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2021	31.03.2026
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 2435(अ), दिनांक 30 मई, 2022	
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 5496(अ), दिनांक 25 नवंबर, 2022	
		क्यूसीओ में तीसरा संशोधन	का.आ. 2334(अ), दिनांक 23 मई, 2023	
		क्यूसीओ में चौथा संशोधन	का.आ. 927(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2024	
4	आईएस 12540:1988 एचएस 29261000	एक्रिलोनिट्राइल	का.आ. 1646(अ), दिनांक 5 अप्रैल, 2022	24.10.2025
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 4600(अ), दिनांक 29 सितंबर, 2022	
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 1787(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2023	
		क्यूसीओ में तीसरा संशोधन	का.आ. 1464(अ), दिनांक 18 मार्च, 2024	
		क्यूसीओ में चौथा संशोधन	का.आ. 4651(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2024	
5	आईएस 14707:1999, आईएस 14708:1999	मिथाइल एक्रिलेट, एथिल एक्रिलेट	का.आ. 5406(अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2021	31.03.2026
		मिथाइल एक्रिलेट, एथिल एक्रिलेट के क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 2436(अ), दिनांक 30 मई, 2022	
		मिथाइल एक्रिलेट, एथिल एक्रिलेट के क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 5497(अ), दिनांक 25 नवंबर, 2022	
		क्यूसीओ में तीसरा संशोधन	का.आ. 2335(अ), दिनांक 23 मई, 2023	
		क्यूसीओ में चौथा संशोधन	का.आ. 928(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2024	

6	आईएस 5149:2020 एचएस 29171400	मैलिक एनहाइड्राइड	का.आ. 1644(अ), दिनांक 5 अप्रैल, 2022	24.10.2025
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 4598(अ), दिनांक 29 सितंबर, 2022	
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 1788(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2023 और हिंदी संस्करण में शुद्धिपत्र का.आ. 1986(अ), दिनांक 01 मई, 2023	
		क्यूसीओ में तीसरा संशोधन	का.आ. 4233(अ), दिनांक 26.09.2023	
		क्यूसीओ में चौथा संशोधन	का.आ. 1466(अ), दिनांक 18 मार्च, 2024	
		क्यूसीओ में 5वां संशोधन	का.आ. 4652(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2024	
7	आईएस 13601: 1993 एचएस 39013000	एथिलीन विनाइल एसीटेट (ईवीए) कॉपोलिमर	का.आ. 1643(अ), दिनांक 5 अप्रैल, 2022	03.10.2025
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 4597(अ), दिनांक 29 सितंबर, 2022	
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	एस.ओ., 1556(अ), दिनांक 31 मार्च, 2023	
		क्यूसीओ में तीसरा संशोधन	का.आ. 4234(अ), दिनांक 26 सितंबर 2023	
		क्यूसीओ में चौथा संशोधन	का.आ. 1463(अ), दिनांक 18 मार्च, 2024	
		क्यूसीओ में 5वां संशोधन	का.आ. 4286(अ), दिनांक 1 अक्टूबर 2024	
8	आईएस 869:2020 एचएस 29031500	एथिलीन डाइक्लोराइड	का.आ. 3928(अ), दिनांक 13 सितंबर, 2021	12.09.2025
		क्यूसीओ में संशोधन	का.आ. 1070(अ), दिनांक 10 मार्च, 2022	
		दूसरा संशोधन	का.आ. 4137(अ), दिनांक 2 सितंबर, 2022	
		तीसरा संशोधन	का.आ. 1124(अ), दिनांक 9 मार्च, 2023	
		चौथा संशोधन	का.आ. 1108(अ) दिनांक 6 मार्च, 2024	
		5वां संशोधन	का.आ. 3936(अ), दिनांक 13 सितंबर, 2024	
9	आईएस 17370:2020 एचएस 29024300	पी जाइलीन	का.आ. 3929(अ), दिनांक 13 सितंबर, 2021	19.12.2025
		क्यूसीओ में संशोधन	का.आ. 1276(अ), दिनांक 23 मार्च, 2022	
		दूसरा संशोधन	का.आ. 4140(अ), दिनांक 2 सितंबर, 2022	
		तीसरा संशोधन	का.आ. 1239(अ), दिनांक 15 मार्च, 2023	
		चौथा संशोधन	का.आ. 1111(अ), दिनांक 6 मार्च, 2024	
		5वां संशोधन	का.आ. 4173(अ), दिनांक 23 सितंबर, 2024	

10	आईएस 14434:1998 एचएस 39074000	पॉलीकार्बोनेट	का.आ. 3930(अ), दिनांक 13 सितंबर, 2021	12.09.2025
		क्यूसीओ में संशोधन	का.आ. 1071(अ), दिनांक 10 मार्च, 2022	
		दूसरा संशोधन	का.आ. 4138(अ), दिनांक 2 सितंबर, 2022	
		तीसरा संशोधन	का.आ. 1122(अ), दिनांक 9 मार्च, 2023)	
		चौथा संशोधन	का.आ. 1109(अ), दिनांक 6 मार्च, 2024	
11	आईएस 17397 (भाग 1) : 2020 एचएस 39095000	पॉलीयुरेथेन	का.आ. 3931(अ), दिनांक 13 सितंबर, 2021	19.12.2025
		पहला संशोधन	का.आ. 89(अ), दिनांक 7 जनवरी 2022	
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 1277(अ), दिनांक 23 मार्च, 2022	
		तीसरा संशोधन	का.आ. 4141(अ), दिनांक 2 सितंबर, 2022	
		चौथा संशोधन	का.आ. 1238(अ), दिनांक 15 मार्च, 2023	
		5वां संशोधन	का.आ. 1112(अ), दिनांक 6 मार्च, 2024	
		छठा संशोधन	का.आ. 4172(अ), दिनांक 23 सितंबर, 2024	
12	17442:2020 29032100	विनाइल क्लोराइड मोनोमर	का.आ. 3932(अ), दिनांक 13 सितंबर, 2021	12.09.2025
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 862(अ), दिनांक 25.02.2022	
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 1072(अ), दिनांक 10 मार्च, 2022	
		क्यूसीओ में तीसरा संशोधन	का.आ. 4139(अ), दिनांक 2 सितंबर, 2022	
		क्यूसीओ में चौथा संशोधन	का.आ. 1123(अ), दिनांक 9 मार्च, 2023	
		क्यूसीओ में 5वां संशोधन	का.आ. 1110(अ), दिनांक 6 मार्च, 2024	
		क्यूसीओ में छठा संशोधन	का.आ. 3937(अ), दिनांक 13 सितंबर, 2024	
13	आईएस 11652:2017 एचएस 39269090	कपड़ा – 50 किलोग्राम सीमेंट की पैकेजिंग के लिए उच्च घनत्व पॉलीइथिलीन (एचडीपीई)/ पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) से बुने हुए बोरे	का.आ. 5178(अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2023	6 जनवरी, 2026
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 2181(अ), दिनांक 4 जून 2024	
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 3938(अ), दिनांक 13.9.2024	
		क्यूसीओ में तीसरा संशोधन	का.आ. 5261(अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2024	
		क्यूसीओ में चौथा संशोधन	का.आ. 2551(अ), दिनांक 11 जून, 2025	
		क्यूसीओ में 5वां संशोधन	का.आ. 4066(अ), दिनांक 4 सितंबर, 2025	

14	एचएस 39269090 आईएस 16709:2017	कपडा – 50 किलोग्राम सीमेंट की पैकेजिंग के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) से बुने, लेमिनेटेड, ब्लॉक बॉटम वाल्व बोरे	का.आ. 5179(अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2023		
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 2182(अ), दिनांक 4 जून, 2024		
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 3939(अ), दिनांक 6 सितंबर, 2024		6 जनवरी, 2026
		क्यूसीओ में तीसरा संशोधन	का.आ. 5262(अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2024		
		क्यूसीओ में चौथा संशोधन	का.आ. 2552(अ), दिनांक 11 जून, 2025		
		क्यूसीओ में 5वां संशोधन	का.आ. 4067(अ), दिनांक 4 सितंबर, 2025		
15	आईएस 17399:2020 एचएस 39269090	वस्त्र – डाक की छँटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी)/ उच्च घनत्व पॉलीइथिलीन (एचडीपीई) से लेमिनेटेड बुने हुए बोरे	का.आ. 5181(अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2023		
		क्यूसीओ में पहला संशोधन	का.आ. 2183(अ), दिनांक 4 जून 2024		
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 3940(अ), दिनांक 6 सितंबर, 2024		
		क्यूसीओ में तीसरा संशोधन	का.आ. 5263(अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2024		6 जनवरी, 2026
		क्यूसीओ में चौथा संशोधन	का.आ. 2553(अ), दिनांक 11 जून, 2024		
		क्यूसीओ में 5वां संशोधन	का.आ. 4068(अ), दिनांक 4 सितंबर, 2025		
16	आईएस 17658:2021	पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) होमोपॉलिमर	का.आ. 920(अ), दिनांक 26 फरवरी, 2024		
			पहला संशोधन का.आ. 3595(अ), दिनांक 23.8.2024		
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 5552(अ), 24.12.2024		

		क्यूसीओ में तीसरा संशोधन	का.आ. 2746(अ), 20.6.2025	24.12.2025
17	आईएस 10951: 2020	मोल्डिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री	का.आ. 921(अ), दिनांक 26 फरवरी, 2024	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से 180 दिन 26 अगस्त, 2024
			पहला संशोधन का.आ. 3594(अ), दिनांक 23.8.2024	24.12.2024
		क्यूसीओ में दूसरा संशोधन	का.आ. 5553(अ), दिनांक 24.12.2024	
		क्यूसीओ में तीसरा संशोधन	का.आ. 2788(अ), दिनांक 23.6.2025	24.10.2025

अनुलग्नक - VI

योजनावार व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बीई 2025-26	आरई 2025-26
1	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ		
1.1	पेट्रोरसायन की नई योजनाएँ	50.50	45.50
2	अन्य केंद्रीय व्यय (सचिवालय/बीजीएलडी/एबी/पीएसयू)		
2.1	सचिवालय-आर्थिक-सेवाएँ	32.07	28.91
2.2	केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट)	78.48	76.35
2.3	कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)	12.15	12.15
2.4	भोपाल गैस रिसाव आपदा (बीजीएलडी)	20.85	22.66
	कुल	194.05	185.57

अनुलग्नक - VII

व्यय 2024-25 और 2025-26

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं	बीई 2024-25	आरई 2024-25	वास्तविक 2024-25	% का RE के संबंध में व्यय (2024-25)	बीई 2025-26	आरई 2025-26	31.12 को समाप्त। 2025	RE के संबंध में व्यय का % (2025- 26)
I	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ								
1	पेट्रोरसायन की नई योजनाएँ	25.00	33.50	33.49	99.97%	50.50	45.50	31.78	69.84%
	I का कुल योग	25.00	33.50	33.49	99.97%	50.50	45.50	31.78	69.84%
II	अन्य केंद्रीय व्यय (सचिवालय/बीजीएलडी/एबी/पीएसयू)								
1	सचिवालय (राजस्व पूंजी)	31.68	29.61	27.03	91.28%	32.07	28.91	20.30	70.21%
2	भोपाल गैस रिसाव आपदा (बीजीएलडी) (राजस्व पूंजी)	25.35	17.47	14.45	82.71%	20.85	22.66	15.45	68.81%
3	केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट)	36.37	44.20	44.20	100%	78.48	76.35	58.86	77.09%
4	कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आइएपीएफटी)	20.65	17.15	17.15	100%	12.15	12.15	8.39	69.05%
	II का कुल योग	114.05	108.43	102.83	94.83%	143.55	140.07	103.00	73.53%
	कुल (I + II)	139.05	141.93	136.32	96.04%	194.05	185.57	134.78	72.63%
III	क क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण								
1	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचआईएल)	120.06	120.06	120.06	100%	0	0	0	ना
	कुल योग (I+II+III)	259.11	261.99	256.38	97.85%	194.05	185.57	134.78	72.63%

अनुलग्नक - VIII

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग का संगठनात्मक चार्ट (11.11.2025 की स्थिति के अनुसार)





सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग